सत्यमेव जयते

मंगलवार,
२४ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation 13.3.12

लोक सभा

मंगलवार, २४ फरवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इस्पात की यंत्र सामग्री के लिये ऋण

*२७१. **श्री नानादास** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात की यंत्र-सामग्री लाने के लिये ऋण देने के बारे में विश्व बैंक से बातचीत पूरी हुई है ;

(ख) क्या इस बातचीत के आधार पर कोई क़रार हुआ है ; तथा

(ग) यदि है, तो क्या उक्त क़रार की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जा रही है ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विश्व बैंक द्वारा इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को दिये जाने वाले ऋण का निर्देश कर रहे हैं। यदि हैं, तो उत्तर हां में है।

(ख) जी हां।

(ग) ऋण के क़रार की प्रतिलिपि संसद् के पुस्तकालय को दी गई है।

157 P.S.D.

सरदार ए० एस० सहगल : प्रश्न संख्या २८९ मेरे नाम पर है और वह इसी विषय में है। मेरी राय में ये दो प्रश्न एक साथ लिये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे जल्दी न करें। प्रश्न संख्या २७१ का उत्तर दिये जाते ही माननीय सदस्य खड़े हो गये। मुझे इस विषय में धीरे से बढ़ने दिया जाय। जल्दी तो कोई है नहीं। क्या माननीय मंत्री दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ देने के लिये तैयार हैं ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां।

इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील कं० लि० को ऋण

*२८९. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक द्वारा इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी लि० को दिये गये ऋण की राशि क्या है ?

(ख) इस में सरकार का दायित्व क्या है ?

(ग) जिस निजी समवाय को यह ऋण दिया जायगा उससे सरकार को कौन सी दर से ब्याज मिलेगा ?

(घ) इस क़रार पर कौनसी तिथि को, कहा और किस उद्देश्य से हस्ताक्षर किये गये ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) ३१५ लाख।

(ख) उधार ली हुई राशि, उसका ब्याज तथा अन्य व्ययों के उचित एवं नियमित भुगतान के लिये सरकार कम्पनी की ओर से जामिन रही है।

(ग) समवाय (कम्पनी) द्वारा इस ऋण के लिये सरकार को ब्याज मिलने का सवाल नहीं उठता।

(घ) उक्त क़रार पर वाशिंगटन (अमरीका) में १८ दिसम्बर, १९५२, को हस्ताक्षर हुए। यह ऋण इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी को विस्तार योजना के लिये दिया गया है?

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व बैंक को इस ऋण के कारण उक्त कम्पनी पर कोई अधिकार प्राप्त हुआ है? यदि है, तो उस अधिकार तथा मर्यादायें क्या हैं?

श्री बी० आर० भगत: जी नहीं, उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या टाटा आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी ने भी ऋण के लिये विश्व बैंक से बातचीत जारी की थी?

श्री बी० आर० भगत: मुझे विदित नहीं।

श्री नानादास: क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने टाटा की अपेक्षा भारतस्थित ब्रिटिश समवायों को ऋण देना पसन्द किया?

उपाध्यक्ष महोदय: टाटा के साथ हुई बातचीतों के बारे म माननीय मंत्री अनभिज्ञ हैं।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि विश्व बैंक को इस ऋण द्वारा खरीदे गये माल का तथा योजना की प्रतियों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): ऋण के क़रार की प्रतिलिपि माननीय सदस्य के पास है जिसे वे पढ़ सकते हैं।

श्री वी० पी० नायर: अभी अभी सरकार ने जो उत्तर दिया उस में कहा गया था कि ऋण के क़रार की प्रतिलिपि संसद् के पुस्तकालय में रखी गई है? इसी क्षण पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करना हमारे लिये असम्भव है, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य चाहते थे कि प्रति सदन पटल पर रखी जाये। अतः वह पुस्तकालय में रख दी गई है। इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के क़रार लगभग अटल ही होते हैं और तुरन्त प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पूछने के अन्य अवसर मिलेंगे और माननीय सदस्य क़रार पढ़ने के बाद फ़ुरसत से प्रश्न पूछ सकते हैं। (अंतर्बाधायें)। यह प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? इसका उत्तर क़रार में दिया गया है। इस प्रकार सदन का समय खर्च नहीं करना चाहिये। इस से पुस्तकों तथा तालिकाओं में दी गई बातों की पुनरावृत्ति होगी।

श्री नानादास: क्या यह तथ्य है कि विश्व बैंक ने आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी को सारे देशों में बंधपत्र बेचने की अनुमति दी है? क्या इसका अर्थ....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य एक तथ्य मान लेते हैं और फिर कहते हैं 'क्या इसका अर्थ'? ये सब बातें क़रार में दी गई हैं। माननीय सदस्य कृपया क़रार पढ़ें।

श्री नानादास: यह केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया क़रार पढ़ें।

श्री नानादास: क़रार में कुछ नहीं बताया गया। यह केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और इस लिये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह तथ्य है कि विश्व बैंक ने इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी को सारे देशों में बन्धपत्र बेचने की अनुमति दी है ?

श्री बी० आर० भगत: हमने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है जो इस क़रार में नहीं है।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह तथ्य है कि ऋण पाने वाली कम्पनी में विदेशी पूंजी है, और यदि है तो उसका प्रमाण क्या है ?

श्री बी० आर० भगत: मूझे पूर्व सूचना चाहिये

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न से यह प्रश्न कैसे उठता? प्रश्न ऋण के विषय में और विदेशी पूंजी ऋण के पहले से ही है यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विश्वास है कि इस कम्पनी को मिला हुआ ऋण भारतीय संचालक द्वारा प्रबन्धित है तथा उसका उपयोग पूर्णतः देश के हितों में हो रहा है ?

श्री बी० आर० भगत: जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: हम इस कम्पनी के प्रबन्ध का विचार नहीं कर रहे हैं। यह ऋण इस्पात की यंत्रसामग्री के लिये दिया जा रहा है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: दूसरे प्रश्न के उत्तर में माननीय सभासचिव ने विशिष्ट कम्पनी का तथा उसे दिये गये ऋण का निर्देश किया। अतः हमें यह जानने का अधिकार है कि इस कम्पनी का गठन कैसा है तथा क्या उस पर भारतीयों का सम्पूर्ण नियंत्रण है।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन कम्पनी के कारबार के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। ऋण की शर्तें तथा निबन्धन आदि बातों के विषय में प्रश्न पूछा गया है।

श्री सी० डी० देशमुख: कोई भी माननीय सदस्य यह पता लगा सकते हैं कि इस कम्पनी के संचालक कौन कौन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ग्रंथ, तालिकायें, आलेख आदि कई अन्य साधन उपलब्ध हैं।

श्री टी० के० चौधरी: भारत सरकार ने जिस एकीकृत इस्पात कारखाने की योजना बनाई है उसके लिये क्या विश्व बैंक से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव किया गया है ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: जब किसी कम्पनी द्वारा वृहत् ऋण की बातचीत जारी है और जब भारत सरकार उस बातचीत के प्रति दिलचस्पी रखती है तब सरकार को उस कम्पनी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है . . .

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अनुपस्थित थे। मेरे दोनों कान थक गये हैं। अनेक प्रश्न पूछे गये हैं और उनके उत्तर भी दिये गये हैं। माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने से क्या लाभ होगा ? यह इस विषय की चर्चा का पहला अवसर नहीं है। पूरे विधेयक पर बहस हुई थी और इस सदन में अनेक वक्तव्य दिये गये हैं। मुझे यह सब अनुचित सा लगता है। माननीय सदस्यों को कार्यवाही के विषय में अद्यावत् जानकारी रखनी चाहिये। जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब उन्हें कार्यवाही का वृत्तान्त पढ़ने की कोशिश करनी चाहिये और फिर जो प्रश्न पहले न पूछे गये हों उन्हीं को पूछना चाहिये। सदन का समय यों ही खर्च करने से कोई लाभ नहीं।

श्री टी० के० चौधरी: क्या भारत सरकार ने जिस सम्पूर्ण इस्पात कारखाने की

योजना बनाई है उसके लिये विश्व बैंक से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : यदि माननीय सदस्य इस्पात कारखाने के ऋण का निर्देश कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि कारखाने की योजना अभी विचाराधीन है और उसकी शिल्पिक संभावनाओं की परीक्षा की जा रही है। उसके बाद ऋण के लिये औपचारिक प्रार्थनापत्र भेजने का विचार किया जायगा ।

श्री जयपाल सिंह : इस ऋण तथा सरकार को प्राप्य अन्य ऋणों के परिणामस्वरूप उत्पादन में कुल वृद्धि कितनी होगी ?

श्री बी० आर० भगत : इस ऋण के परिणामस्वरूप लोहे का उत्पादन ६,४०,००० टन से १४,००,००० टन तक तथा इस्पात का उत्पादन ३,५०,००० टन से ७,००,००० टन तक बढ़ जायगा ।

श्री नानादास : मार्टिन एण्ड बर्न कम्पनी के प्रबन्धक संचालक श्री बी० मुकर्जी ने, जो इस ऋण की बातचीत करने वाले लोगों में से एक थे, कहा ....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल में इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य को सीधा प्रश्न पूछना चाहिये । यह प्रश्न नहीं है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने आयर्न एण्ड स्टील कारखाने को ऋण चुकाने के लिये मूल्य-वृद्धि देने का आश्वासन दिया है ?

श्री बी० आर० भगत : जी नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व बैंक के इस आग्रह के कारण कि भारत सरकार को ब्रिटिश हित सम्बन्धों वाली एकीकृत कम्पनी बनानी चाहिए भारत सरकार इस्पात कम्पनियों का एकीकरण करने के लिये विवश हो गई ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस्पात विधेयक के सम्बन्ध में इसकी चर्चा हो चुकी है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, तब इसकी चर्चा नहीं हुई थी । पिछली बार जब यह प्रश्न उठा था तब सरकार ने बताया था कि मामला बातचीत के स्तर पर होने के कारण पूरी जानकारी प्रगट नहीं की जा सकती । अब बातचीत पूरी हुई है इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक द्वारा निश्चित इशारा किये जाने के कारण ही एकीकरण का विचार नहीं किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पूरी याद है कि सम्बन्धित माननीय मंत्री ने, जब वे इस विधेयक का भार सम्हाल रहे थे, कहा था कि इस्पात का उत्पादन बढ़ाने तथा ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से एकीकरण किया जा रहा है ।

श्री वी० पी० नायर : अब बातचीत पूरी हो चुकी है इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बातचीत के दौरान में विश्व बैंक द्वारा ऐसी कोई शर्त रखी गई थी कि ब्रिटिश हित सम्बन्धों को सहयोग का अवसर दिये जाने पर ही ऋण दिया जायेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं जी ।

संयुक्त राष्ट्र शिल्पिक सहायता कार्यक्रम

*२७२. **श्री के० के० बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत को संयुक्त राष्ट्र शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अधीन प्राप्त सहायता की कुल राशि ;

(ख) भारत को यू० एन० ई० सी० ए० एफ़० ई० ; डब्ल्यू० एच० ओ० तथा यू० एन० ओ० से सम्बन्धित अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्राप्त सहायता की कुल राशि ; तथा

(ग) इस सहायता का उद्देश्य तथा इससे संलग्न शर्तें ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा उसकी विशिष्ट संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता विदेशीय शिल्पिक विशेषज्ञों के तथा प्रशिक्षण सुविधाओं एवं सहायक उपकरणों के रूप में दी जाती है। इस उद्देश्य से यू० एन० टी० ए० ए० तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन की अन्य विशिष्ट संस्थाओं द्वारा प्राप्त सहायता की जानकारी देने वाला विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १**]

यह सहायता बिना किसी शर्त के दी जाती हैं।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि विशेषज्ञों में अधिकतर लोग किस राष्ट्र के होते हैं ; खास कर कुटीर उद्योग के विशेषज्ञों में ?

श्री बी० आर० भगत : यह जानकारी गत सत्र में दी गई है ।

श्री के० के० बसु : मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री स्वयं उपस्थित हैं । वे अधिक स्पष्टीकरण कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें दुबारा स्पष्टीकरण क्यों करना चाहिए ?

श्री के० के० बसु : कुटीर उद्योगों के विशेषज्ञों के राष्ट्रकत्व के विषय में ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुटीर उद्योग का रष्ट्रकत्व कैसे हो सकता है ? उसका कोई राष्ट्रकत्व नहीं है । क्या माननीय मंत्री को कुटीर उद्योग कार्यक्रम के अधीन आये हुए विशेषज्ञों के बारे में कोई जानकारी है ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या मैं शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण पाये हुए भारतीयों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री बी० आर० भगत : विदेश भेजे गए भारतीय प्रशिक्षणार्थियों की संख्या की जानकारी भी गत सत्र में दी गई है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विशेषज्ञों में से कितनों को राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है ?

श्री बी० आर० भगत : उन्हें कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है । यदि वे पहले बार आते हों तो उन्हें सीमा शुल्क से उन्मुक्ति मिलती है । इसके अतिरिक्त उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है । उन्हें कोई राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुटीर उद्योग के विशेषज्ञ ऐसे देश से लाये गए हैं जहां कुटीर उद्योग का अन्य उद्योगों से प्रमाण अत्यल्प है ।

श्री बी० आर० भगत : माननीय सदस्य मुझ से अधिक जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं।

कल्यानवाला समिति

*२७३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या रक्षा मंत्री ता० १७ नवंबर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ को दिए गए उत्तर का निर्देश करेंगे और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्यानवाला समिति के प्रतिवेदन की अथवा उसकी प्रमुख सिपारिशों की प्रतिलिपी सदन पटल पर रखने का सरकार का इरादा है ;

(ख) इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि हाल ही में बम्बई के रक्षा कर्मचारियों ने इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में जो विलम्ब हो रहा है उसके विरुद्ध एक दिन का प्रतीकात्मक हड़ताल किया था; तथा

(घ) क्या इनको कार्यान्वित करने की अन्तिम तिथि जाहिर करने का सरकार का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) सरकार को इस समिति की सिफ़ारिशें शीघ्र कार्यान्वित करने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) नहीं । सरकार अपना निर्णय शीघ्र घोषित कर देगी ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि समिति ने सर्वानुमति से कुछ सिफ़ारिशें की हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त कार्यान्वित कर रही है या नहीं ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने कहा है, यह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है और सरकार को उस पर अति शीघ्र निर्णय किये जाने की उम्मीद है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार श्रम मंत्रालय के उस प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चलने के लिये तैयार है जो उक्त समिति के सदस्य थे, क्योंकि इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही है ?

सरदार मजीठिया : अति शीघ्र सम्भवतः मार्च के अन्त तक हम निर्णय ज़ाहिर कर देंगे ।

वैज्ञानिक कर्मचारियों की जीवन-स्थिति

*२७५. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के वैज्ञानिक कर्मचारियों की जीवन-स्थिति की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने भारत की विभिन्न संस्थाओं तथा उद्योगों में काम करने वाले विदेशीय शिल्पिकों की संख्या के बारे में कोई परिमाप किया है तथा भारतीय शिल्पिकों के भाग्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार ने जांच की है कि सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को वैज्ञानिक सम्मेलनों में उपस्थित रहने के लिये छुट्टी की सुविधायें देने की जो सिफ़ारिशें की थीं उन पर वैज्ञानिक कर्मचारियों के सेवायोजकों द्वारा उचित अमल होता है या नहीं ;

(घ) क्या सरकार को अखिल भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारी संस्था द्वारा उपर्युक्त मामलों में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; तथा

(ङ) क्या उक्त संस्था को मान्यता देने के प्रश्न का सरकार ने विचार किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सरकार ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से विदेशीय कर्मचारियों से काम लेने वाली सब फ़र्मों के बारे में सांख्यकी मंगवाई है ।

(ग) वैज्ञानिक कर्मचारियों को वैज्ञानिक सम्मेलनों में उपस्थित रहने के लिये छुट्टी दी जाने के बारे में जो सिफ़ारिश

की गई है उसके उल्लंघन के किसी घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है ।

(घ) तथा (ङ). वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या २]

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह तथ्य है कि पूना के कुछ वैज्ञानिक कर्मचारियों को, जो अपनी संथा के सदस्य हैं, इसलिये दण्डित किया गया कि उन्होंने सरकार का ध्यान कुछ भ्रष्टाचार के मामलों की ओर आकर्षित किया ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इन वैज्ञानिक कर्मचारियों में बहुत से लोग सरकारी नौकर होते हुए भी सरकार उनके संघ को मान्यता क्यों नहीं देती जब कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनेक संघ हैं जिन्हें साधारण रीति से मान्यता दी जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस संथा को मान्यता देने के बारे में सम्बन्धित मंत्रालयों से पृच्छा की गई थी और श्रम मंत्रालय ने हमें सलाह दी है कि १९२६ के कार्मिक संघ अधिनियम के संशोधन तक इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

श्री नम्बियार : क्या संघ को मान्यता के लिये अधिकरण अधिनियम के निरसन अथवा संशोधन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है और उसके शीघ्र ही कुछ निर्णयों पर पहुंचने की सम्भावना है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें कुछ विदेशियों द्वारा बम्बई में जो तैल शुद्धीकरण के कारखाने खोले जा रहे हैं उनमें सारे भारतीय शिल्पिक नियुक्त करने की इष्टता की बात कही गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को विदित है कि वैज्ञानिक कर्मचारियों की संथा के सम्मेलन में इसी प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ था ?

श्री के० डी० मालवीय : वैज्ञानिक कर्मचारियों की संथा ने अपनी पुरानी शिक़ायतों के बारे में एक ज्ञापन भेजा था, किन्तु, जहां तक मुझे मालूम है, उक्त ज्ञापन में माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित प्रस्ताव का समावेश नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार इन कारखानों में भारतीय शिल्पिकों की नियुक्ति की इष्टानिष्टता का विचार करेगी जब कि इन शिल्पिकों की सिपारिशों के अनुसार यह सुझाव व्यवहार्य प्रतीत होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही की सूचना है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सरकार की नीति हमेंशा यही होती है कि भारतीय कर्मचारियों को भर्ती किया जाय । जब किसी विशिष्ट प्रकार के कर्मचारी यहां उपलब्ध नहीं होते हैं तब ही इस नीति में अपवाद किया जाता है । नई नीति स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है । सरकार नहीं चाहेगी कि भारतीय शिल्पिक कर्मचारी उपलब्ध होते हुए विदेशी शिल्पिक कर्मचारी नियुक्त किये जायें । कल ही मैं दामोदर घाटी से आया हूं जहां हज़ारों इंजीनियर

नियुक्त हुए हैं । उन में से प्रायः दस बारा इंजिनियर विदेशी होंगे और अन्य सारे भारतीय हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात का ख्याल रखते हुए कि विदेशी कम्पनियां बहुधा कहा करती हैं कि भारतीय शिल्पिक उपलब्ध नहीं हैं, क्या मैं सरकार का ध्यान उक्त संथा द्वारा भेजे गये अभिवेदन की ओर आकर्षित करूं जिसमें बतलाया गया है कि दो वर्ष के अन्दर, जब तक ये कारखाने खड़े हो जायेंगे, भारतीय शिल्पिकों को आवश्यक शिल्पिक प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, अवश्य ।

कृषि कार्य के लिये ऋण

*२७६. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में भारत के रक्षित बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों को कृषि-कार्यों के लिये दिये गये ऋण की राशि ;

(ख) रक्षित बैंक द्वारा आरोपित सूद की दर ; तथा

(ग) विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों पर आरोपित सूद की दर ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) भारत के रक्षित बैंक अधिनियम की धारा १७ के अधीन भारत के रक्षित बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को मौसमिक कृषि-कार्यों तथा फ़सल की खरीदी के लिये दिये गये ऋणों की राशियां इस प्रकार हैं :—

राज्य का नाम	१९५२ में (लाख रुपयों में)
बम्बई	४१४.८५
मद्रास	४४४.९३
मध्य प्रदेश	४६.९०
उत्तर प्रदेश	४९.२५
उड़ीसा	२७.५०
पश्चिमी बंगाल	६०.००
अजमेर-मेरवाड़	१.७०
कुल	१०४५.१३

(ख) उक्त ऋणों पर १ १/२ प्रतिशत सूद लिया जाता है जो बैंक की दर से २ प्रतिशत कम है ।

(ग) भारत के रक्षित बैंक का उस सूद की दर पर कोई नियंत्रण नहीं जो सहकारी बैंकों द्वारा किसानादि कर्ज़दारों से लिया जाता है । फिर भी विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा वितरित ऋणों पर लिये जाने वाली दरों की जो जानकारी उपलब्ध है वह इस प्रकार है :

राज्य का नाम	सूद की दर (१९५१-५२)
	प्रतिशत
बम्बई*	४ ११/१९ से ९ ३/८ तक।
मद्रास	४ १/२ से ६ १/४ तक
उत्तर प्रदेश*	१२ से १५ तक
पश्चिमी बंगाल	१२ १/२
मध्य प्रदेश	३ से १२ तक
उड़ीसा	८ १/२ से १० १/२ तक
बिहार*	८ से ९ ३/८ तक
हैदराबाद	९ ३/८ से २० तक
राजस्थान	७ १/२ से २५ तक
दिल्ली	९ ३/८
मैसूर	५ १/२ से ९ तक
अजमेर-मेरवाड़	९ से १० तक

*१९५०-५१ के आंकड़े

श्री पी० टी० चाको: राजस्थान में क्या दर है ? २५ प्रति शत ?

श्री बी० आर० भगत: ७ १/२ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक।

श्री ए० सी० गुहा: किनके हितों में रक्षित बैंक त्याग कर रहा है और १ १/२ प्रतिशत की दर से ऋण दे रही है जब कि अन्तिम क़र्ज़दार को ७, ८, १२ या २० प्रतिशत की दर भी देनी पड़ती है ?

श्री बी० आर० भगत: जैसा कि मैंने भाग (क) के उत्तर में कहा है, सहकारी बैंक राज्यों के अधीन होने के कारण, रक्षित बैंक का उनकी दरों पर कोई नियत्रण नहीं है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि रक्षित बैंक उन्हें १ १/२ प्रतिशत की रियायती दर से ऋण देता है, फिर भी यह ऋण सहकारी बैंकों की कुल जमा का अल्प अंश होता है। जमा की अन्य राशि इतनी सस्ती दर से प्राप्त नहीं होती। आखिर इस आरोप में भी कुछ बल अवश्य है कि किसानों पर अधिक दर लगाई जाती है। रक्षित बैंक इस स्थिति का विचार कर रहा है।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को विश्वास हो गया है कि सहकारी बैंक सूदखोरी करते हैं और इसको रोकना आवश्यक है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: श्रीमान्, क्या मैं इस पर अधिक प्रकाश डालूं ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो बहस हो गई। माननीय सदस्य मतप्रदर्शन कर रहे हैं, और.....

श्री ए० सी० गुहा: म केवल पूछ रहा हूं....

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें स्पष्ट अन्तर है। रक्षित बैंक सस्ती दर से ऋण देता है और वे अधिक दर लेती है। लेकिन उन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। माननीय मंत्री केवल नैतिक प्रभाव डाल सकते हैं; अन्य कोई नहीं।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): रक्षित बैंक केवल नैतिक प्रभाव डालने से भी अधिक कुछ कर सकती है। मुझे स्मरण है कि मेरे कार्यकाल में जब यह पद्धति जारी की गई थी तब इरादा यह था कि इसका लाभ वस्तुतः किसान को या कर्ज़दार को मिलना चाहिए। मुझे निश्चित मालूम नहीं कि इस मामले में आगे क्या हुआ। किन्तु मेरी राय में रक्षित बैंक निश्चय ही इस बारे में कुछ न कुछ कर सकता है कि बैंक-दर कम होने का लाभ वस्तुतः किसानों को मिले।

श्री पी० टी० चाको: क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५२ में रक्षित बैंक द्वारा भाग 'ख' राज्यों के मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अथवा कृषि-ऋणों के अनुसूचित बैंकों को कोई राशि उधार दी गई थी ?

श्री सी० डी० देशमुख: वस्तुस्थिति यह है कि भाग 'ख' राज्यों का कोई बैंक है नहीं क्योंकि धारा १७ के अनुसार रक्षित बैंक द्वारा सुविधायें तब ही दी जाती हैं जब दो विश्वसनीय हस्ताक्षर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के हस्ताक्षर प्राप्त करना हमेशा सम्भव नहीं होता है क्योंकि कुछ राज्यों में सहकारी आन्दोलन अन्यों की अपेक्षा अविकसित अथवा अव्यवस्थित है। उदाहरणार्थ, कुछ राज्यों में कोई राज्य सहकारी बैंक ही नहीं है। अन्य राज्यों में मध्यवर्ती बैंकों की पुनर्व्यवस्था करना आवश्यक है।

पंडित के० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि किस परिस्थिति में रक्षित बैंक ने सहकारी बैंकों को इस अत्यन्त अनुसूचित सूदखोरी की अनुमति दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने कहा है कि वे जांच कर रहे हैं।

सरदार ए० एस० सहगल: डेढ़ रुपये सैंकड़े पर रिज़र्व बैंक जो लोन प्राविन्शियल बैंक्स को देता है और वे जो डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक्स को देते हैं, यह भी ज्यादा चार्ज करते हैं, तो क्या इस पर सरकार तहक़ीकात करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख: मैंने वायदा किया है और वह तहक़ीकात की जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे भय है कि हम मृत अश्व का ताड़न कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह कोशिश की गई है कि जिन उद्देश्यों के लिये सहकारी बैंकों को ये राशियां उधार दी गई थीं उन उद्देश्यों के लिये उनका उपयोग करने में उन्हें कितनी सफलता मिली है ?

श्री सी० डी० देशमुख: हमारी राय में उनका पूरा उपयोग किया गया है।

श्री एन० सोमना: कितने समय के लिये यह ऋण दिया जाता है ?

श्री सी० डी० देशमुख: बारह से पन्द्रह महीनों तक।

श्री वैलायुधन: क्या मैं जान सकता हूं कि जो पैसा राज्यों को दिया जा चुका है, उसका उपयोग वास्तव में कृषि-कार्यों के लिये हुआ है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय: वे तो कृषि-ऋण ही होते हैं।

श्री वैलायुधन: मुझ उत्तर चाहिये। रक्षित बैंक अल्प दर से ऋण देता है किन्तु वे १५ प्रतिशत एवं २५ प्रतिशत की दर से सूद लेते हैं। हमें जानना चाहिए......

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति माननीय सदस्य को चाहिये कि वे उत्तर देने का अवसर दें।

श्री सी० डी० देशमुख: हमारे पास कोई प्रमाण नहीं कि वह किसी अन्य काम के लिये उपयोग में लाया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

सचिवालय कर्मचारीवृन्द के कल्याण तथा सुविधा सम्बन्धी समिति

*२७७. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी वृन्द में साहित्यिक, सामाजिक तथा मनोरंजनात्मक कार्य चलाने के लिये सचिवालय कर्मचारी वृन्द के कल्याण तथा सुविधा सम्बन्धी समिति संगठित की गई है?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): ऐसी समिति गठित करने के प्रश्न पर सक्रिय विचार हो रहा है।

सरदार हुक्म सिंह: प्राक्कलन समिति द्वारा इस प्रकार की समिति गठित करने की सिपारिश कब की गई थी ?

श्री दातार: उन्होंने १९५१ में सिपारिश की थी। तुरन्त एक परिपत्र परिचालित किया गया और गत वर्ष ८ अगस्त को एक आंतर्विभागीय सम्मेलन किया गया जिसने कुछ सुझाव दिये हैं। उनको क्रियान्वित किया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी कर्मचारी वृन्द के लिये कोई साहित्यिक, सामाजिक अथवा अन्य काम उपलब्ध है ?

श्री दातार: वे संगठित रूप में उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु यहां वहां कुछ कार्य चल रहे हैं। केन्द्रीय समिति संगठित कर विभिन्न मंत्रालयों में चलने वाले कार्यों का संचालन करने का हमारा उद्देश है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी कौन कौन से कार्य चल रहे हैं ?

श्री दातार : यदि माननीय मित्र इन कार्यों की व्योरेवार जानकारी चाहते हैं, तो मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सचिवालय कर्मचारी वृन्द को इस समिति में प्रतिनिधित्व मिलेगा ?

श्री दातार : उन्हें समितियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा । वस्तुतः उन्हें अधिकतम प्रतिनिधित्व मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

*२७८. **श्री बी० के० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५२ में पूर्वी बंगाल से आये हुए लोगों में से कितनों को शिविरों में अथवा अन्यत्र काम पर लगाया गया है ;

(ख) कितने दान पर अवलम्बित हैं ; तथा

(ग) कितनों को असम्बद्ध माना जाता है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १६,७९३ व्यक्ति (आसाम को छोड़ कर)।

(ख) ६३,४७४ व्यक्ति ।

(ग) ३,०४३ व्यक्ति ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं उन कामों का प्रकार जान सकता हूं जिन पर इन्हें लगाया जाता है ?

श्री जे० के० भोंसले : सड़क निर्माण, पुनर्वास क्षेत्रों की सफ़ाई तथा तत्सम कार्य ।

श्री बी० के० दास : उन्हें प्रतिदिन औसत मजूरी क्या दी जाती है ?

श्री जे० के० भोंसले : १४ आने से १ रुपये तक ।

श्री बी० के० दास : इस नये प्रवाह के साथ जो लोग प्रव्रजन कर आयेंगे उन्हें तुरन्त काम पर लगाने की योजना कहां तक सफल हुई है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं ने काम पर लगाये गये लोगों की कुल संख्या बताई है ।

श्री बी० के० दास : मेरा प्रश्न इस प्रकार है। एक योजना तय की गई थी कि विस्थापित भारत में आते ही उन्हें शिविरों में रखने के बजाय काम के स्थानों पर पहुंचाया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह योजना कहां तक सफल हुई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हमने शिविरों में रखे गये तथा कार्य-स्थानों पर भेजे गये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या बताई है । योजना की सफलता पर प्रकाश डालने के लिये ये दो आंकड़े पर्याप्त हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इन विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली दान की राशि रुपयों में कितनी है ?

श्री जे० के० भोंसले : प्रौढ़ व्यक्ति को प्रति हफ्ता ३ रुपये और ८ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को प्रति हफ्ता २ रुपये, इसके अलावा कपड़ा, शिक्षण तथा भैषिजिक सुविधा बिना मूल्य दी जाती है ।

श्री बी० के० दास : क्या मुझे बताया जा सकता है कि ये शिविर कब तक चलाये जायेंगे ?

श्री जे० के० भोंसले : यह सारा इस पर निर्भर है कि बंगाल की सरकार उन्हें फिर से बसाने में कब तक सफल होती है ।

श्री राघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह जीवन-वेतन भी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय सदस्य के मानने की बात है ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन ६३,००० व्यक्तियों के अलावा, जो अभी शिविरों में भर्ती हुए हैं, क्या पहले आये हुए कुछ लोग भी शिविरों में हैं ? और उनकी संख्या क्या है ?

श्री जे० के० भोंसले : लगभग ३,००० का अन्तर है ।

श्री एस० सी० देव : क्या मैं सन् १९५२ में आसाम राज्य में घुसे हुए विस्थापितों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री जे० के० भोंसले : २१,५०० ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ३ रुपये का जीवन वेतन होता है ? क्या यह जीवन वेतन है अथवा मरण वेतन ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री राघवय्या : मैं ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था । उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों को उत्तर मिले हैं ।

उस्मानिया चलार्थ

***२७९. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण हैदराबाद में ता० १ अप्रैल, १९५३ से उस्मानिया चलार्थ की जगह भारतीय गणराज्य का चलार्थ परिचालित होने के कारण वहां के सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन क्या विहित विनिमय परिमाण के अनुसार भारतीय चलार्थ में दिये जायेंगे अथवा जितने उस्मानिया रुपये मिलते थे उतने ही भारतीय रुपये उन्हें दिये जायेंगे ; तथा

(ख) क्या विनिमय की जो दर सरकार ने निश्चित की है वह अनेक वर्ष तक स्थिर रहेगी अथवा आज तक के समान परिस्थिति के अनुसार बदलती रहेगी ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) उस्मानिया चलार्थ में दिये जाने वाले वेतन परिनियमित विनिमय दर के अनुसार भारतीय चलार्थ में रूपान्तरित किये जायेंगे ।

(ख) दो चलार्थों के बीच वर्तमान परिनियमित विनिमय दर तब तक जारी रहेगी जब तक उस्मानिया चलार्थ प्रचार में से पूरी तरह नहीं हट जाता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : भारतीय तथा उस्मानिया चलार्थों में अभी क्या भेद है ; और भारतीय चलार्थ में वेतन चुकाने पर हमें कर्मचारियों को कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी ?

श्री बी० आर० भगत : ये दो प्रश्न अलग अलग हैं । भेद से क्या वे विनिमय दर का निर्देश कर रहे हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : हां ।

श्री बी० आर० भगत : विनिमय दर इस प्रकार है : १०० भारतीय रुपये उस्मानिया चलार्थ में ११६ रुपये १० आने ८ पाई के बराबर होते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह वर्तमान दर है अथवा सरकार द्वारा विहित दर है ?

श्री बी० आर० भगत : यह परिनियमित दर है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : और वहां की वर्तमान दर क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे विदित नहीं है ।

श्री बोगावत : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उस्मानिया चलार्थ का अन्त करना चाहती है ?

श्री बी० आर० भगत : हां ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस परिवर्तन के लिये कितना समय लगेगा ?

श्री बी० आर० भगत : अपेक्षा की जाती है कि १ अप्रैल, १९५३ से उस्मानिया चलार्थ हटाया जायगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने समय तक विनिमय की अनुमति दी जायगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ऊंचे स्वर में, स्पष्ट रूप से तथा निःसंदिग्ध बात कहनी चाहिये । हम प्रश्न तथा उत्तर बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं । जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है । कोई किसी सदस्य को ढकेल नहीं रहा है । श्री जयपाल सिंह ।

श्री जयपाल सिंह : उस्मानिया चलार्थ की कुल राशि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : ४१.३८ करोड़ रुपये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । ता० १ अप्रैल से यह सारा चलार्थ हट जायगा ।

श्री नम्बियार : केवल एक ही प्रश्न । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास हैदराबाद के सरकारी कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन आया है कि उक्त परिवर्तन के कारण उन्हें नुक्सान नहीं पहुंचना चाहिये ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : इसी विषय पर एक अन्य प्रश्न है । यदि मुझे अनुमति दी गई, तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

हैदराबाद राज्य के विलय के बाद केन्द्रीय सरकार ने वहां का प्रशासन सम्हाला । हैदराबाद मुद्रणालय हैदराबाद राज्य के अधीन था । अतः आज एक रुपये का चलार्थ पत्र हैदराबाद मुद्रणालय में छपता है । उस मुद्रणालय पर हैदराबाद की सरकार का स्वामित्व है । वहां का कर्मचारी वृन्द भी हैदराबाद सरकार के अधीन है । वह चलार्थ बन्द होने पर वहां के कुछ कर्मचारी फ़ालतू बन जायेंगे । वहां कुल १०५ स्थान हैं जिनमें से केवल ३६ रिक्त रहेंगे । अतः ६९ लोग अतिरिक्त होंगे जिन्हें काम देने की ज़िम्मेवारी हैदराबाद सरकार पर होगी । इनसे केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । केन्द्रीय सरकार हैदराबाद के टकसाल की केवल देखभाल करती है । और रेखांकन आदि काम हैं, जिनमें लगे हुए लोगों की ज़िम्मेवारी सरकार अपने ऊपर लेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ प्रश्न पूछते हैं । इनके उत्तर में सरकार को कभी कभी पूरा चित्र खींचना पड़ता है । और सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के बजाय..... (**अन्तर्बाधा**) । मुझे यहीं प्रश्न नहीं दिखता । माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे । अब किसी अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी जायगी । इतने प्रश्न पूछने दिये यही बहुत हैं । अगला प्रश्न ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं इस विषय में और एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

विस्थापित व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति-देय

*२८१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों की संख्या जिन्होंने क्षतिपूर्ति-देयों के लिये अब तक प्रार्थना की है ;

(ख) कितनी प्रार्थनाओं का निबटारा हो चुका है और कितने प्रार्थियों को देय प्राप्त हुए हैं ; तथा

(ग) अब तक क्षतिपूर्ति-देयों के रूप में दिये गये पैसे की कुल राशि कितनी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) लगभग ५,००० व्यक्तियों ने वह जानकारी दी है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण के लिये आवश्यक होती है ।

(ख) जब तक क्षतिपूर्ति की कोई योजना सरकार मंजूर नहीं करती तब तक क्षतिपूर्ति के दावे के निबटारे का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० राम सुभग सिंह : योजना स्वीकार करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : श्रेष्ठतम स्तर पर सरकार इस योजना का विचार कर रही है । समय के बारे में माननीय सदस्य अपना अनुमान लगा सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस क्षतिपूर्ति के लिये किस प्रकार के लोग प्रार्थना पत्र दे सकते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हम ने निम्न प्रकार के कुछ लोग चुन लिये हैं :

(१) विधवायें, वृद्ध तथा क्षीण व्यक्ति जिन्हें निर्वाह भत्ता मिलता है ;

(२) महिला-सदनों तथा हस्पतालों के निवासी ;

(३) पंजाब में मिट्टी की झोंपड़ियों की बस्तियों के निवासी ;

(४) कुछ पुनर्वास नगरों में अथवा बस्तियों में रहने वाले लोग ;

(५) राजस्थान के भरतपुर, अलवर तथा गंगा ज़िलों में अस्थायी रूप से ज़मीन पाये हुए लोग ; तथा

(६) पंजाब के लुधियाना ज़िले में जाग्रन, राजकोट, खन्ना तथा सम्राला नगरों में बसे हुए विस्थापित व्यक्ति ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार द्वारा योजना को मंजूरी दी जाने के पहले किसी अन्य श्रेणी के लोगों से दावे मंगवाने का कोई विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : जब सरकार के पास कोई योजना भी तैयार नहीं थी तब इन श्रेणियों के लोगों से प्रार्थनापत्र मंगाने के क्या कुछ विशेष कारण हैं ?

श्री ए० पी० जैन : ये कुछ प्राथमिक कार्यवाही सी थी जो हमें पूरी करनी थी ताकि हमें कुछ अनुभव प्राप्त हो और जिनकी दावों को पूर्ववर्तिता मिलनी चाहिये ऐसे अत्यन्त योग्य व्यक्ति चुनने में मदद हो ।

पंडित के० सी० शर्मा : सरकार के लिये कितनी कुल अनुमानित राशि उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

श्री ए० पी० जैन : जब तक सरकार द्वारा योजना को मंजूरी नहीं मिलती तब तक यें आंकड़े नहीं बता सकता ।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि जिन दावों का सत्यापन एक बार हो चुका था उनका तथाकथित 'मितव्यय योजना' के अनुसार पुनर्सत्यापन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप दावों की मूल राशियों को कम किया जा रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : पुनर्सत्यापन का कोई प्रश्न नहीं है । विधि में पुनर्सत्यापन का प्रबन्ध

किया है और जिन मामलों में ग़लतियां हुई हैं उनका पुनर्सत्यापन हो रहा है।

श्री गिडवानी : क्या यह तथ्य है कि दावेदारों को सूचनायें भेजी जा रही हैं कि इस पुनर्सत्यापन के लिये उन्हें उनके निवास स्थान से बहुत दूर के स्थान पर दावे आयुक्त के सामने हाज़िर होना चाहिये --कुछ मामलों में तो उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में बुलाया जाता है जिसके कारण काफ़ी असुविधा तथा व्यय होता है ?

श्री ए० पी० जैन : माननीय सदस्य की शिक़ायत यह दीखती है कि हम उन्हें अपनी बात कहने का मौक़ा देते हैं। वे चाहें तो वैसा कर सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में निर्णय किया जायगा।

श्री गिडवानी : यह थोड़े व्यक्तियों का मामला नहीं है। क्या सरकार जानती है कि इस तथाकथित सत्यापन के लिये सैकड़ों व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बुलाया जा रहा है और इससे उनके हज़ारों रुपये बरबाद हो रहे हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा भी कोई मामला हुआ है जब दावे में कम राशि का अनुमान लगाया गया था और पुनर्सत्यापन के परिणाम-स्वरूप वह राशि बढ़ा दी गई ?

श्री ए० पी० जैन : होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*२८२. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री भारतीय पंजाब के योल शिविर में स्थित विस्थापित परिवारों में से जम्मू प्रान्त में फिर से बसाये गये परिवारों की कुल संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन्हें ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

(ग) उक्त ऋण की वापसी कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १३५० परिवार।

(ख) प्रति परिवार ५०० रुपये।

(ग) दिसम्बर, १९५३ के आसपास।

लाल कोट तथा पुराना क़िला

*२८३. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजा अनंगपाल से सम्बन्धित दुर्ग 'लाल कोट' का तथा महाभारत में विख्यात इन्द्रप्रस्थ की भूमि पर स्थित 'पुराना किले' का शीघ्र ह्रास हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उनके संरक्षण के लिये पर्याप्त क़दम उठाने का सरकार का इरादा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). लाल कोट (महरौली) की दीवारें गत ५०० वर्षों से टूटी फूटी हैं। उसके कुछ बचे हुए अंश सुरक्षित हैं किन्तु उनकी पूरी मरम्मत नहीं की जाती है क्योंकि उसके लिये अत्यधिक खर्च करना पड़ेगा।

पुराने क़िले की दीवारों से लगे हुए मकानों में शरणार्थी रहते हैं और उनके जगह खाली करते ही आवश्यक मरम्मत का प्रश्न उठाया जायगा।

विदेशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थी

*२८४. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिये विदेशों में

जाने पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का कोई नियंत्रण है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृपया सदन पटल पर रख एक विवरण रख देगी, जिसमें १ जनवरी, १९५२ के रोज़ की निम्न जानकारी दी गई हो--विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा दीक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का व्यौरेवार वर्णन, वे जिन देशों एवं विश्वविद्यालयों में तथा जिन विषयों में शिक्षा पा रहे हैं उनके नाम; तथा

(ग) क्या सरकार ने इन विद्यार्थियों द्वारा विदेशी शिक्षा पर सन् १९५१ तथा १९५२ में किये गये व्यय का अनुमान किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कोई नहीं, सिवाय इसके कि जो विद्यार्थी विदेशी संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रार्थनापत्र भेजते हैं उन्हें यह दिखा देना पड़ता है कि विदेश में रहने के लिये पर्याप्त वित्तीय प्रबन्ध कर लिया है ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका, कैनेड तथा इंगलिस्तान के बारे में उपलब्ध जानकारी 'डायरेक्टरी आफ़ इंडियन स्टूडण्ट्स इन दी यू० एस० ए० एण्ड कैनेडा' तथा 'लिस्ट आफ़ इंडियन स्टूडण्ट्स एकोर्डिंग टू सब्जेक्ट्स आफ़ स्टडी इन यू० के० इन १९५१-५२' नामक पुस्तिकाओं में दी गई है जो संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई है । अन्य देशों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) नहीं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने ऐसे कुछ क़दम उठाये हैं कि कम से कम जिन पाठ्यक्रमों की शिक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों में दी जाती है उनके अध्ययन पर भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पैसा खर्च न करें ?

श्री के० डी० मालवीय : यही हम कर रहे हैं; हम विद्यार्थियों को यही सलाह दे रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य है कि सरकारी नियुक्तियों के लिये अब भी भारतीय प्रशिक्षण से विदेशी प्रशिक्षण को अधिमान दिया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जो लोग विदेशी संस्थाओं से आते हैं उन्हें भारतीय विद्यार्थियों से केवल इसलिये अधिमान नहीं दिया जाता है कि उन्होंने विदेशों में प्रशिक्षण पाया है । परन्तु जब अभ्यर्थियों की पात्रता तथा अर्हतायें हमारी आवश्यकता की अपेक्षा कम होती हैं तब हम विदेशी संस्थाओं से आये हुए लोगों को नियुक्त करने पर विवश हो जाते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, यह तो बात टालने का उत्तर है । मेरा प्रश्न भिन्न था ।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्हताओं के अनुसार अधिमान दिया जाता है --केवल विदेशी संस्थाओं से आने के कारण कोई अधिमान नहीं मिलता ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा प्रश्न यह नहीं था । मैं जानना चाहता था कि भारत में वही पाठ्यक्रम होते हुए भी, क्या विदेशी प्रशिक्षण को भारतीय प्रशिक्षण से कुछ अधिमान दिया जाता है ।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसका कोई पता नहीं है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि अनेक देशों में जो विद्यार्थी स्वकीय विश्वविद्यालय का स्नातक नहीं है उसे उस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए विदेशों में नहीं जाने दिया जाता है ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी स्वीकार करता हूं।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि जिन जापानी विद्यार्थियों ने स्वदेश में डाक्टर की पदवी प्राप्त कर ली है उन्हें विदेशों में वह पदवी लेने की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसका कोई पता नहीं है।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों के कानून तथा कला की शिक्षा पर रोक लगा कर चलार्थ बचाने की संभावना पर विचार किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सुझाव है।

डा० सुरेश चन्द्र : शिक्षा मंत्रालय के शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों में क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : वहां एक दफ्तर होता है और जो विद्यार्थी विदेशी शिक्षा के लिए वहां आते हैं उन्हें ज्ञात नियमों तथा शर्तों के अनुसार सलाह दी जाती है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को इन अधिकारियों की अनुपस्थिति के बारे में विद्यार्थियों से कुछ शिकायतें मिली हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, हमें तो कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री वेलायुधन : भाग (ग) को दिये गए उत्तर के विषय में, क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की आंशिक सहायता की योजना, जो पहले जारी थी, क्या सरकार ने अब समाप्त कर दी है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं। हमने विद्यार्थियों की सहायता की कोई योजना नहीं छोड़ दी है।

सिपाही तथा सेवक

*२८५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५३ को भारतीय सेना के उन सिपाहियों की संख्या जो सेनाधिकारियों के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार इन सिपाहियों से निजी सेवक के रूप में काम लेने वाले अधिकारियों के वेतन से कोई राशि वसूल कर लेती है ? तथा

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर यदि हां है, तो भारतीय सेना के सिपाहियों से निजी सेवकों के रूप में काम लेने के कारण अधिकारियों से वसूल की जाने वाली कुल राशि ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ग). हमें खेद है कि इस जानकारी को प्रगट करना सार्वजनिक हित के विरूद्ध है।

(ख) हां, जिस अधिकारी को जिस दिन से निजी सेवक दिया जाता है, उससे उस दिन से प्रतिमास ३० रुपए वसूल किये जाते हैं।

श्री वी० पी० नायर : यदि सार्वजनिक हित के विरूद्ध न हो, तो क्या मैं जान सकता हूं कि किस श्रेणी के सैनिक अधिकारी को निजी सेवक मिल सकता है ?

सरदार मजीठिया : सारे अधिकारियों को।

श्री वी० पी० नायर : अधिकारी की निम्नतम श्रेणी कौनसी होती है—लेफ्टनंट, कैप्टन, मेजर अथवा अन्य कोई ?

सरदार मजीठिया : मैं पहले ही बता चुका हूं कि अधिकारियों को निजी सेवक मिल सकता है। अधिकारियों में विभिन्न श्रेणियों के सारे अधिकारियों का समावेश होता है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि ऐसी स्थिति में अधिकारी अपने सेवकों से अत्यंत अपमानास्पद् काम लेते हैं जैसा कि जूतों की सफाई, झाड़ू देना, आदि ? श्रीमान्, मुझे व्यक्तिशः कुछ मामले मालूम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इन सारी बातों में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान उन शिकायतों की तरफ आकर्षित किया गया है .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल जानकारी दे रहे हैं। इसमें कोई लाभ नहीं। इस सदन की कक्षा में ही जानकारी देना आवश्यक नहीं है।

श्री जी० एस० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की सुविधाएं रूसी तथा चीनी सेनाओं के अधिकारियों को दी जाने के बारे में क्या सरकार को कोई जानकारी है ?

सरदार मजीठिया : संभवतः वे भी इस प्रकार की सुविधाएं देते हैं।

श्री जोशिम अलवा : जब कि संयुक्त राज्य अमरीका जैसा प्रबल राष्ट्र भी, अपनी सेना, वायुबल तथा अन्य रक्षा कर्मचारियों के आंकड़े, प्रगट करता है, माननीय मंत्री को भारतीय सेना में काम करने वाले निजी सेवकों की संख्या बताने पर क्यों आपत्ति है ?

सरदार मजीठिया : कारण स्पष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। विशेषतः रक्षा विषयक मामलों में यह निर्णय सरकार को सौंपा जाता है कि कौनसी जानकारी प्रगट करना या न करना सार्वजनिक हित में है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ सैनिक कर्मचारियों को भूतपूर्व राजाओं के सेवक बना दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा नहीं किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। संख्या २८७।

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न संख्या २८६ का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसे ३ मार्च, १९५३, के प्रश्न सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है और उसका उत्तर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिया जाएगा।

आपत्कालिक अधिकारी

***२८७. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सीधे भर्ती किये गए अनेक आपत्कालिक अधिकारियों को सेवा से मुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १९५२ में इस प्रकार मुक्त किये गए अधिकारियों की संख्या ;

(ग) क्या इन अधिकारियों को सरकारी विभागों में नियुक्त कर लेने का सक्रीय प्रयत्न किया गया है, और यदि हां, तो इन में से कितने अधिकारियों को अन्य विभागों में नियुक्त किया गया है; तथा

(घ) इन अधिकारियों को सेवा से मुक्त करने के समय क्या अनुग्रह दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) नहीं।

(ख) सन् १९५२ में केवल ३३ अधिकारियों को, जिन्हें असैनिक जीवन से सीधे भर्ती करके आपत्कालिक अधिकारी बनाया गया था, सेवा से मुक्त किया गया है।

(ग) हां। सन् १९५२ में मुक्त किए गए इन ३३ कमिशन प्राप्त अधिकारियों में से दो अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय में द्वितीय श्रेणी की सेवा में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, १९५२ के पहले मुक्त किये गए ८४ अधिकारियों को गत वर्ष केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में नौकरी मिली है।

(घ) विद्यमान नियमों के अनुसार, सीधे भर्ती किये गए आपत्कालिक कमिशनप्राप्त अधिकारियों को निवृत्ति-वेतन का लाभ नहीं मिलता। इन अधिकारियों को नियमों के अनुसार मिलने वाला युद्ध-उपहार मिल चुका है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार उन्हें भी नियुक्त करने की कोशिश कर रही है जिन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ?

सरदार मजीठिया : हां, सरकार कोशिश कर रही है।

चुनाव याचिकायें

*२८८. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या विधि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिसंबर १९५२ के अन्त तक कितनी चुनाव याचिकाएं दर्ज की गई ?

(ख) इन याचिकाओं के निबटारे के लिए दिसंबर, १९५२ तक कितने न्यायाधिकरण स्थापित हुए ?

(ग) न्यायाधिकरणों के सामने अभी कितनी याचिकाएं पड़ी हुई हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) गत दिसंबर के अन्त तक ३४२ याचिकाएं दर्ज हुईं।

(ख) ६३ न्यायाधिकरण स्थापित हुए।

(ग) १ फरवरी, १९५३ को न्यायाधिकरणों के सामने २३२ याचिकाएं पड़ी थीं।

श्री नम्बियार : किस तिथि तक इन सारी याचिकाओं का निबटारा हो जाएगा और हम अगले चुनाव का विचार कर सकेंगे ?

श्री बिस्वास : इतना सब तो मैं नहीं बता सकता।

श्री के० के० बसु : क्या मे उस राज्य का नाम जान सकता हूं जहां अधिकतम याचिकाएं दर्ज हुई हैं ?

श्री बिस्वास : आंकड़े इस प्रकार हैं :

पटना	१२ (बिहार में)
लुधियाना	११ (पंजाब में)
पटियाला	११ (पेप्सू में)
जयपुर	१२ (राजस्थान में)
रीवा	१८ (विंध्य प्रदेश में; इसे सूची में अग्रस्थान प्राप्त है)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई माननीय सदस्य किसी अज्ञात चुनाव में कैसे दिलचस्पी रखते हैं ?

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में सक्षम अधिकारियों

द्वारा उम्मीदवारों के नामनिर्देशन पत्र के अस्वीकार के विषय में अन्तिम निर्णय किये जाने के पहिले ही चुनाव हो चुके थे ?

श्री बिस्वास : मैं ने पहले किसी दिन एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में ये आंकड़े बताये थे। ये आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इस अधिनियम का संशोधन करने का विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही की सूचना है।

श्री बिस्वास : जल्दी ही एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

स्वल्प सेवा नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारी (निवृत्ति-वेतन)

*२९०. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना में स्वल्प सेवा नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) इनमें से कितने अधिकारी भूतपूर्व राज्य सेनाओं से तथा कितने आई० ई० सी० ओ० से आये हुए हैं ?

(ग) यदि स्वल्प सेवा नियमित कमिशनप्राप्त अधिकारियों को १० वर्ष से अधिक समय तक काम पर रखा जाये तो उन्हें अनुपाती निवृत्ति वेतन मिलने के विषय में क्या सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) भारतीय सेना में अभी काम करने वाले स्वल्प सेवा नियमित कमिशनप्राप्त अधिकारियों की वास्तविक संख्या बताना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है।

(ख) स्वल्प सेवा नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारियों में से १८ प्रतिशत लोग पहले राज्य सेनाओं में थे तथा २८ प्रतिशत भूतपूर्व आई० ई० सी० अधिकारी थे।

(ग) स्वल्प सेवा नियमित कमिशन-प्राप्त अधिकारियों को सेवा के अन्त में केवल उपहार मिलता है। १५ वर्ष से कम सेवा वाले स्थायी नियमित कमिशन-प्राप्त अधिकारियों को भी निवृत्ति-वेतन का अधिकार नहीं होता। अतः १० वर्ष से अधिक समय तक काम पर रखे गए स्वल्प सेवा नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारियों के अनुपाती निवृत्ति वेतन का प्रश्न नहीं उठता।

स्वल्प सेवा नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारी

*२९१. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि स्वल्प सेवा नियमित कमिशनप्राप्त अधिकारियों के कार्यकाल में प्रति वर्ष वृद्धि की जाती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जिन अधिकारियों को आरंभ में स्वल्प सेवा नियमित कमिशन दिया गया था उनके कार्यकाल में, आवश्यकतानुसार, एक वर्ष से अधिक समय के लिए वृद्धि की जाती है।

जिन अधिकारियों को आरंभ में ३ वा ५ वर्ष के लिए स्वल्प सेवा नियमित कमिशन दिया गया था उनके कार्यकाल में आवश्यकतानुसार निश्चित तिथि तक वृद्धि की गई है।

श्री लक्ष्मण सिंह चरक : वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि दी जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : किसे, श्रीमान् ? जैसा कि मैंने कहा है, स्वल्प सेवा नियमित कमिशन-प्राप्त अधिकारियों के दो प्रकार

हैं। पहले प्रकार में आरंभ में ३ वा ५ वर्ष के लिए स्वल्प सेवा नियमित कमिशन दिये गए अधिकारियों का समावेश है। अभी अभी उनके कार्यकाल में ऐसी अनिश्चित तिथि तक के लिए वृद्धि की गई है जब कि उन्हें सेवामुक्त करना आवश्यक हो जाएगा। दूसरे प्रकार के लोगों को केवल १ वर्ष के के लिए स्वल्प सेवा नियमित कमिशन दिये गए थे और वर्तमान राजकीय स्थिति के कारण ही उन्हें सेवा में रखा गया है।

श्री लक्ष्मण सिंह चरक : इस प्रकार के अधिकारियों से पहले प्रकार के अधिकारियों जैसा व्यवहार करने में क्या बाधा है ?

श्री सतीश चन्द्र : संभवतः हमारी सैनिक शक्ति उन सब को दीर्घ काल के लिए नहीं समा सकती।

राष्ट्र मण्डलीय रक्षा वैज्ञानिक

*२९२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि राष्ट्र मण्डलीय रक्षा वैज्ञानिकों की एक बैठक शीघ्र ही दिल्ली में समवेत होने जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद् का क्या उद्देश्य है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) हां, रक्षा-विज्ञान पर राष्ट्र मण्डलीय परामर्श-दात्री समिति की बैठक नई दिल्ली में २ से १४ मार्च १९५३ तक समवेत होने वाली है।

(ख) उक्त बैठक का उद्देश्य इस क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्र मण्डलीय देशों के प्रमुख वैज्ञानिकों को समवेत कर सामान्य हित के विषयों की चर्चा द्वारा रक्षा से संबंधित वैज्ञानिक गवेषणाओं में सामंजस्य स्थापित करना है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि रक्षा के विषय में भारत तथा अन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों के बीच वैज्ञानिक जानकारी के नियमित परस्पर विनिमय की कोई व्यवस्था है ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां। केवल ऐसी ही जानकारी का विनिमय किया जाता है कि जिसका विनिमय करने वाले देश लाभ उठा सकें। भारत को उस जानकारी से कोई लाभ नहीं जिसका उपयोग वह न कर सके। अतः परस्पर लाभदायक सारी जानकारी का विनिमय किया जाता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों की गवेषणाओं के परिणामों को राष्ट्रमण्डलीय देशों के पास न पहुंचने देने के लिए क्या कोई सावधानी बरती जाती है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं सदन को यह प्रतीत कराना चाहता हूं कि रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हमने विशेष प्रगति नहीं की है। ऐसी बैठकों में भाग लेने से हमें कुछ लाभ ही होने की आशा है। हमारी वर्तमान वैज्ञानिक गवेषणाएं भी प्रायः इस प्रकार की नहीं हैं कि उन्हें खूब छिपाने की आवश्यकता पड़े।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या राष्ट्रमण्डलीय देशों के इन लोगों में ऐसे भी अनेक लोग नहीं हैं जिनके वैज्ञानिक उद्देश्य से हमारी रक्षा पंक्तियों का निरीक्षण करने के कारण हमारा देश का संकट में फंस जाना संभव होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : सरकार ऐसा नहीं मानती। यह कहना भी ठीक नहीं है कि वे हमारी बहुत सारी रक्षा सामग्री का निरीक्षण कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि वे सारे मित्र राष्ट्र हैं। दूसरी बात, हमारी रक्षा सामग्री में ऐसा कोई

मार्गदर्शक सूत्र नहीं है जिसके विषय में माननीय सदस्य के मन में आशंका है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को विश्वास हुआ है कि राष्ट्र मण्डलीय रक्षा वैज्ञानिकों के रूप में आने वाले इन लोगों की सूची में खुफिया विभाग के सैनिक नही हैं—फिर उनका आवरण चाहे कुछ भी हो ?

श्री सतीश चन्द्र : वे प्रायः रक्षा विज्ञान से संबंधित विख्यात व्यक्ति होते हैं । अंगलीस्तान से आने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एक अत्यंत विख्यात वैज्ञानिक कर रहे हैं जो अन्य किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग ले सकते हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को विदित नहीं है कि अनेक विख्यात अणुवैज्ञानिकों ने जासूस का काम किया है और उन्हें पकड़ा गया है ....

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इन बातों में नहीं जाना चाहिए । वैज्ञानिक ही वैज्ञानिकों के दिल की बातें अच्छी तरह जानते हैं । हमें इन काल्पनिक बातों में नहीं जाना चाहिए । सरकार पूरी सावधानी रखती है ।

श्री जोशिम अल्वा : उक्त परिषद् की कल्पना का जन्म कब हुआ—पाकिस्तान की मध्य पूर्व रक्षा संगठन में शामिल होने की कथित चेष्टा के पहिले या पश्चात् ?

श्री सतीश चन्द्र : इस परिषद् की प्रथम बैठक बहुत वर्ष के पहले अंगलीस्तान में हुई थी जब भारत स्वतंत्र नहीं था । उस समय तय हुआ था कि परिषद् नियमित रूप से दो वर्षों में एक बार भराई जाए और सामान्य रुचि के विषयों की चर्चा की जाए । यह समय समय पर सम्मिलित होते आयी है । इस बार भारत सरकार ने उसे सम्मेलन का आमंत्रण दिया ।

श्री जी० पी० सिन्हा : इस तथ्य को देखते हुए कि पाकिस्तान मध्य पूर्व रक्षा संगठन में शरीक होने की संभावना है क्या इस सम्मेलन के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किये जाने की संभावना है ?

श्री सतीश चन्द्र : ऐसे प्रश्नों का विचार वैदेशिक कार्य के मंत्रालय द्वारा किया जाता है । मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अभी मध्य पूर्व रक्षा संगठन में शरीक हुआ है । केवल कुछ संदिग्ध समाचार प्रस्तुत हो रहे हैं । कुछ भी हो, इसके कारण सम्मेलन के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है (**अन्तर्बाधाएं**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । किसी विशिष्ट भविष्यकालीन घटना के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं । प्रश्नों का उद्देश्य सरकार की नीति जानने का है । वस्तुतः सरकार—माननीय मंत्री—सहज कह सकते हैं कि कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है । हमें अन्य बातों में जाने का कोई कारण नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में उपस्थित होंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार ने इसका इन्तजाम किया है कि जो कामनवेल्थ सायंटिस्ट्स कानफरेंस हो रही है उसकी चीजें रशिया को न मालूम हों ?

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्र मण्डल और रूस एक ही नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : और श्री नम्बियार खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्नों की संख्या को कोई मर्यादा नहीं है ? उनके नेता पहले

ही बहुत से प्रश्न पूछ चुके हैं। अब कोई प्रश्न न पूछा जाय।

शिल्पिक सहायता कार्यक्रम

***२९३. श्री टी० एस० ए० चेट्टियार:** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में उनके मंत्रालय के लिये शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार विदेशों से कितने लोग प्राप्त हुए हैं ?

(ख) किन प्रमुख विषयों के लिये उनकी सेवायें प्राप्त की गई हैं ?

(ग) क्या वे सीधे भारत सरकार के अधीन काम करते हैं या संस्थाओं में बांट दिये गये हैं ?

(घ) क्या भारत सरकार ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों की उपयुक्तता का कोई मूल्यमापन किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) १९५१-१९५२ में चार तथा १९५२-५३ में सात।

(ख) प्रमुख विषय ये हैं :

(१) असैनिक स्थापत्यशास्त्र।

(२) रासायनिक स्थापत्य शास्त्र।

(३) यंत्रों के अवजार तथा कर्मशाला तंत्र।

(४) जलगति शास्त्र तथा बांध निर्माण।

(५) औद्योगिक प्रशासन तथा व्यापार प्रबन्ध।

(६) शिशु संगोपन तथा शिशु मार्ग-दर्शन।

(७) व्यावसायिक मार्ग दर्शन।

(८) माध्यमिक शिक्षा।

(ग) ८ व्यक्ति ऐसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं जो या तो सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं या जिन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। ३ व्यक्ति सीधे शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध हैं।

(घ) सम्बन्धित व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत होने तथा उनकी सेवायें विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त की जाने के कारण, उनकी उपयुक्तता का मूल्यमापन करने का सवाल नहीं उठता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह तथ्य है कि...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को विलम्ब हुआ है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी।

उपाध्यक्ष महोदय : कल मैं कुछ अतिरिक्त समय दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशियों को दिये गये दृष्टांक

***२७४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में कितने विदेशियों को भारत में प्रवेश करने के लिये दृष्टांक दिये गये ?

(ख) ये लोग किन देशों से आये थे तथा उनकी भेंटों के उद्देश्य क्या थे ?

(ग) इन में से भारत सरकार की प्रार्थना पर कितने आये थे तथा विभिन्न सरकारी या गैरसरकारी सम्मेलनों में भाग लेने के लिये कितने आये थे ?

(घ) क्या भारत सरकार ने इन लोगों द्वारा सब के सामने प्रगट किये गये

अभिप्रायों की जानकारी रखी है तथा क्या ऐसे अभिप्रायों की ओर ध्यान दिया है जिनका अर्थ हमारे देश के अन्तर्गत मामलों में हस्तक्षेप करना होता है ?

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के मत-प्रदर्शन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग). अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, १९५२ के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

(घ) इस देश को भेंट देने वाले दर्शकों के उद्गारों की जानकारी रखने का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता है । जिन उद्गारों से हमारे अन्तर्गत मामलों में हस्तक्षेप होता है उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये जनता तथा समाचार-पत्रों की सतकता पर्याप्त है । अब तक सरकार को विशेष सावधानी बरतने का मौक़ा नहीं आया ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

कृत्रिम चावल

*२८०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि कृत्रिम चावल के उत्पादन की यंत्रसामग्री ख़रीदने के लिये कुछ सरकारी अधिकारी ब्रिटेन की यात्रा करने वाले हैं ;

(ख) उनके किन समवायों से परामर्श करने की उम्मीद है और उक्त यंत्रसामग्री के लिये कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ;

(ग) क्या उत्पादन की यंत्रसामग्री ख़रीदने का इरादा कर लेने के पहले सरकार को कृत्रिम चावल के उत्पादन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में विश्वास हुआ है ?

(घ) कृत्रिम चावल के उत्पादन की प्राक्कलित लागत ; तथा

(ङ) यह विश्वास दिलाने के लिये किये गये प्रयोग कि लोग इस खाद्य वस्तु का उपयोग करेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) भारत सरकार ने मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसन्धानशाला के संचालक को कृत्रिम चावल के विशाल पैमाने के उत्पादन की सम्भावनाओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिये और विशेष कर इस बात का अध्ययन करने के लिये कि उसके लिये किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होगी, उस पर कितनी लागत आयेगी, और उसका कार्य किस रीति से चलेगा, बाहर भेजा है ।

(ख) उक्त अधिकारी यूरोप व ब्रिटेन में इस प्रकार की यंत्रसामग्री बेचने वाली महत्वपूर्ण फ़र्मों से सम्पर्क स्थापित करेगा ।

(ग) हां, जितना प्राप्त परिस्थिति में हो सकता है । इसके अलावा, यंत्रसामग्री खरीदने के पीछे विचार यह है कि कृत्रिम चावल के उपयोग का एक विशाल पैमाने पर परीक्षण करने के लिये उसकी पर्याप्त राशि पैदा की जाय ।

(घ) जब तक सरकार को इस यंत्र सामग्री के प्रकार तथा शक्ति के बारे में यूरप से पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक इस संकल्पित कृत्रिम खाद्य की लागत की सही कल्पना नहीं दी जा सकती । परन्तु कृत्रिम चावल के लिये आवश्यक कच्चे माल की विद्यमान क़ीमतों को देखते हुए यह माना

जा सकता है कि कृत्रिम चावल का मूल्य अन्य खाद्य वस्तुओं से कम होगा।

(ङ) मैसूर तथा अन्य केन्द्रों में कृत्रिम चावल के पदार्थ उपभोक्ताओं को खिलाने के प्रयोगों से प्रगट होता है कि उपभोक्ता इसे खाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते और इसे पाचन योग्य बताते हैं।

संस्कृतिक के हस्तलेख

***२९४. श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि मैसूर के निकट कुछ प्राचीन संस्कृत हस्तलेखों का पता चला है जिनमें विभिन्न प्रकारों के विमानों के निर्माण तथा कृत्रिम वर्षा के साधनों का विस्तृत वर्णन दिया गया है; तथा

(ख) क्या सरकार ने इन हस्तलेखों के अध्ययन का कोई प्रबन्ध किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) मैसूर की सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि इस विषय में जोसिर नामक किसी व्यक्ति द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई वार्ताओं के अलावा दूसरी कोई अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बलुआ पत्थर

***२९५. श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में देशी अबरख (बलुआ पत्थर) प्राप्त करने के लिये कोई अनुसन्धान किया गया है ?

(ख) बिहार में इसकी क्या सम्भावनायें हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४**]

हैदराबाद राज्य बैंक

***२९६. श्री माधव रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद राज्य बैंक को भारत के रक्षित बैंक में विलीन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जी नहीं।

हैदराबाद का मुद्रांक विभाग

***२९७. श्री माधव रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यंत्र अब तक निज़ाम के पोस्ट कार्डस व मुद्रांक छापने में लगे थे उनका उपयोग करने के हेतु क्या हैदराबाद के मुद्रांक विभाग को नासिक सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस में विलीन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जी नहीं। क्योंकि वे आवश्यकता से अतिरिक्त हैं।

राजस्थान को वित्तीय सहायता

***२९८. श्री माधव रेड्डी :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान की वित्तीय सहायता की मांग केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : उक्त प्रार्थना यथाशक्य पूरी की गई है।

कृत्रिम चावल

*२९९. **श्री बी० एन० राय:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृत्रिम चावल के उत्पादन के बारे में की गई गवेषणा से इस वर्ष उसकी विशाल राशि पैदा होने की सम्भावना प्रगट होती है ; तथा

(ख) क्या उसमें नैसर्गिक चावल जैसी पोषण शक्ति होती है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : कृत्रिम चावल का विशाल पैमाने पर उत्पादन करने का प्रयत्न अभी नहीं किया गया है । भारत सरकार ने मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसन्धानशाला के संचालक को कृत्रिम चावल के विशाल पैमाने के उत्पादन की सम्भावनाओं का विस्तार-पूर्वक अध्ययन करने के लिये और विशेष कर इस बात का अध्ययन करने के लिये कि उसके लिये किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होगी, उस पर कितनी लागत आयेगी और उसका कार्य किस रीति से चलेगा, बाहर भेजा है । वह अधिकारी भारत सरकार के विचार के लिये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ख) जी हां ।

पाकिस्तान में सेवा का स्वेच्छा से स्वीकार

*३००. **पंडित डी० एन० तिवारी:** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आज तक कितने सरकारी कर्मचारी; जिन्होंने विभाजन के बाद पाकिस्तान जाना पसन्द किया था, भारत वापिस आ कर सेवा में फिर से भर्ती किये गये हैं और कितनों की प्रार्थनाएं ठुकरा दी गई हैं ?

(ख) जिन लोगों ने भारत में रहना पसन्द किया था, क्या उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान गये हैं और सेवा में भर्ती हो कर वहां बस गये हैं ?

(ग) क्या भारत में सरकारी अथवा निजी सेवा में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनकी बीबियां तथा बच्चे पाकिस्तान में बस गये हैं और यदि हैं, तो उनकी संख्या क्या है ?

(घ) क्या पाकिस्तान की सेवाओं में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनके परिवार अब भी भारत में हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । प्रेस नोट द्वारा जो जानकारी संकलित की जा सकी उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के १७० कर्मचारी, जिन्होंने अन्तिम रूप में पाकिस्तान जाना पसन्द किया था और जिन्हें विभाजन के बाद के उपद्रवों के कारण उस देश से बाहर जाना पड़ा, भारत सरकार की सेवा में अस्थायी रूप से पुनः भर्ती किया गया है ।

(ख) लगभग १२०० लोग, जिन्होंने भारत में सेवा का स्वेच्छा से स्वीकार किया था, अन्तिम रूप से पाकिस्तान चले गये हैं । यह विदित नहीं कि क्या वे सेवा में भर्ती हो कर वहां बस गये हैं ।

(ग) जो लोग भारत में सरकारी नौकरी करते हैं और जिनकी बीबियां तथा बच्चे पाकिस्तान में बस गये हैं उनकी संख्या की जानकारी संकलित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी । परन्तु उन व्यक्तियों की संख्या संकलित करना सम्भव नहीं है जो भारत में निजी सेवा में नियुक्त हैं तथा जिनकी बीबियां तथा बच्चे पाकिस्तान में बसे हुए हैं ।

(घ) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । सरकार यह जानकारी संकलित भी नहीं कर सकती ।

त्रिवांकुर कोचीन उच्च न्यायालय का डिवीजन बैंच

***३०१. श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार त्रिवांकुर कोचीन के उच्च न्यायालय का एक डिवीजन बैंच त्रिवेंद्रम में रखने की वांछनीयता का विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये कोई विधान बनाने का विचार हो रहा है ; तथा

(ग) यदि हां, तो वह कब सदन के सामने आने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). संसद् के इसी सत्र में त्रिवांकुर कोचीन के उच्च न्यायालय का एक डिवीज़न बैंच त्रिवेन्द्रम में रखने के हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा है । त्रिवेन्द्रम ज़िले में उपस्थित होने वाले मामलों के विषय में इस डिवीज़न बैंच की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र एक न्यायाधीश अथवा दो न्यायाधीशों के डिवीज़न बैंच के बराबर होगा ।

मोनाज़ाइट

***३०२. श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) इलिमनाइट के स्रोतों में मोनाज़ाइट का कितना अंश अभी पाया जाता है; तथा

(ख) क्या इस अल्प अंश के बारे में सरकार को सेवायोजकों से तथा कार्मिकों से कुछ शिक़ायतें प्राप्त हुई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) .१ प्रतिशत, श्रीमान् ।

(ख) जी हां ।

ओरियण्टल इन्शोरेन्स कम्पनी

***३०३. श्री आर० एन० सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ओरियण्टल इन्शोरेन्स कम्पनी को एक म्यूचुअल कम्पनी बना का कोई विचार कर रही है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एकस्थानीय तथा बहु-स्थानीय कर

***३०४. श्री एल० एन० मिश्र:** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अक्तूबर, १९५२ में जो वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें एक-स्थानीय तथा बहु-स्थानीय करों के विषय में कुछ निर्णय किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या उसी निर्णय के अनुसार कुछ राज्य सरकारों द्वारा बहु-स्थानीय करारोपण की कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

योल शिविर के निवासियों का पुनर्वास

***३०५. श्री एन० आर० नायडु:** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत-काश्मीर सीमा स्थित योल शिविर के कुछ निवासियों को पेप्सू में बसाया गया है ?

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर हां में है, तो क्या उन्हें ज़मीन तथा पुनर्वास ऋण दिये गये हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि योल शिविर के कुछ निवासियों को भोपाल में ज़मीनें दी गई थीं जो अस्वीकार कर वे शिविर में वापिस गये ?

(घ) क्या ऐसी परिस्थिति में यह परिपाटी नहीं है कि इस प्रकार वर्तन करने वाले विस्थापित व्यक्तियों की सहायता बन्द की जाती है ?

(ङ) क्या यह तथ्य नहीं है कि ओरिसा में बसाये गये पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति जब पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में वापिस चले आये तब उनकी सारी सहायता बन्द की गई ?

(च) यदि हां, तो योल शिविर के निवासियों के बारे में अपवाद क्यों किया गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (च). ९४० विस्थापित व्यक्ति वाले २४१ परिवारों को योल शिविर से भोपाल भेजा गया। उस समय अनावृष्टि हुई और पीने का पानी भी दुर्लभ हुआ। उस समय उन्हें भोपाल में बसाना असम्भव प्रतीत हुआ। अतः उनमें से २०९ परिवारों को पेप्सू में बसाया गया। उन्हें ऋण दिये गये हैं। और ज़मीन भी दी जा रही है। इन्हें भगोड़े नहीं कहा जा सकता और इस लिये इनके मामले में अपवाद करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वायु बल विमान दुर्घटना

*३०६. **श्री हेडा:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २२ दिसम्बर, १९५२ को आगरा के निकट भारतीय वायु बल के विमान की जो दुर्घटना हुई, क्या उसकी जांच जारी की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या जांच के प्रति-वेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा उसके निर्णय क्या हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): माननीय सदस्य का ध्यान १६ फ़रवरी, १९५३ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

उस्मानिया विश्वविद्यालय

*३०७. **श्री हेडा:** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस्मानिया विश्वविद्यालय के कारोबार की जांच करने के लिये जो दो समितियां नियुक्त की गई थीं, क्या उन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनके निर्णय क्या हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक ये प्रति-वेदन उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी यह कहना सम्भव नहीं कि यह प्रतिवेदन कब उपलब्ध हो जायेंगे।

विश्वविद्यालयों के अंग्रेजी के प्राध्यापकों का सम्मेलन

*३०८. **डा० रामा राव:** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के अंग्रेज़ी के प्राध्यापकों का सम्मेलन अभी अभी बुलाया था ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य तथा इसके निर्णय क्या थे ?

(ग) क्या विश्वविद्यालयीन स्तर पर शैक्षणिक माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का उच्चाटन करने के प्रश्न पर उक्त सम्मेलन ने कुछ सिफ़ारिशें कीं ?

(घ) यदि हां, तो सिफ़ारिशों का स्वरूप क्या था तथा क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार किया हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) इस देश में अंग्रेज़ी भाषा तथा साहित्य की शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का विचार करने के लिये प्रस्तुत सम्मेलन बुलाया गया था ।

(ग) तथा (घ) । सम्मेलन की सिफ़ारिशों को अभी अन्तिम रूप प्राप्त नहीं हुआ है । सरकार द्वारा उनके स्वीकार किये जाने न जाने का प्रश्न उसके बाद ही उठ सकता है ।

पंचवर्षीय योजना

*३०९. **डा० रामा राव :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य में पंचवर्षीय योजना द्वारा संकल्पित शैक्षणिक कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये क्या अभी अभी केन्द्रीय सरकार के तथा दिल्ली राज्य सरकार के अधिकारियों की कोई सभा हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो उसके निर्णय क्या थे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां ।

(ख) इस सभा में केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली राज्य सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे और सभा ने दो सरकारों द्वारा उक्त योजना का--चुने हुए क्षेत्र में (बुनियादी तथा सामाजिक) शिक्षा के घने विकास की योजना का--संयुक्त प्रशासन तथा निरीक्षण करने की कल्पना का अनुमोदन किया । यह निर्णय किया गया कि दिल्ली की योजना का उद्देश्य बुनियादी तथा सामाजिक संस्थाओं की आदर्श इकाई निर्माण करने का हो जिससे देश के अन्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिये यहां से नई कल्पनायें तथा प्रयोग प्रचलित हों ।

भारतीय भाषाओं का अध्ययन

*३१०. **पंडित लिंगराज मिश्र :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मातृभाषा के अलावा अन्य किसी भारतीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ पारितोषिक रखे गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इसके लिये जो भाषाओं की सूची बनाई गई है उसमें से ओरिया, गुजराती, असामीज़ तथा पंजाबी भाषाओं को क्यों वर्जित किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) छः भाषाओं से आरम्भ किया गया है, अर्थात्, बंगाली, तामिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम तथा कन्नड़ । अन्य भाषाओं का समावेश करने के लिये योजना का व्याप बढ़ाने के प्रश्न पर कुछ समय के बाद विचार किया जायगा ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या

*३११. **श्री रघुवीर सहाय :** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मंजूर की गई संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) सन् १९५२ में उक्त उच्च न्यायालय में काम करने वाले न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या क्या थी ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि सन् १९५२ में इनमें से दो न्यायाधीश कई महीनों तक

बैंच पर बैठे ही नहीं क्योंकि उन्हें सेवा के लिये अन्यत्र भेजा गया था ?

(घ) उच्च न्यायालय में उनकी अनुपस्थिति की अवधि में क्या कोई अस्थायी प्रबन्ध किया गया था ?

(ङ) कितने स्थान अभी भी रिक्त हैं तथा कब से और अब तक नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(च) क्या यह तथ्य है कि उच्च न्यायालय में अवशिष्ट मामलों की प्रचण्ड राशि का निबटारा करने के लिये मुख्य न्यायाधिपति मंजूर की गई संख्या से भी अधिक न्यायाधीश चाहते थे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) २२।

(ख) १८।

(ग) हां।

(घ) नहीं; संविधान के अनुसार कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त नहीं किये जा सकते। किन्तु संविधान के अनुच्छेद २२४ के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री पी० के० कौल को तीन महीनों तक न्यायाधीश का कार्यभार सम्हालने के लिये नियुक्त किया गया था।

(ङ) तीन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, एक न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण और एक अन्य न्यायाधीश की मृत्यु के कारण १४-१०-५२ से २०-२-५३ की अवधि में पांच स्थान रिक्त हैं। इन स्थानों में नियुक्तियां करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(च) हां, विद्यमान रिक्तियों को भरने के वाद इस सुझाव का विचार किया जायगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कार्मिक संघ

*३१२. **श्री विट्टल राव** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिये सरकार द्वारा क्या नियम तथा विनियम बनाये गये हैं ?

(ख) क्या ये नियम तथा विनियम भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ के उपबन्धों से सुसंगत हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के किसी कार्मिक संघ को मान्यता देने के पहले सरकार इस शर्त का आग्रह करती है कि उक्त संघ में कोई आनरेरी सदस्य नहीं होना चाहिये ?

(घ) क्या उक्त भाग (ग) के उपबन्धों के कुछ अपवाद किये गये हैं और यदि हैं, तो कौन कौन से संघों के बारे में ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). विद्यमान विधि के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की किसी संथा अथवा कार्मिक संघ के केवल पंजीबद्ध हो जाने के कारण उसे मान्यता देने का बन्धन सरकार पर नहीं आ जाता। इस मान्यता के लिये सरकारी कर्मचारियों के दो मोटे भेद माने गये हैं; अर्थात् औद्योगिक कर्मचारी तथा अनौद्योगिक कर्मचारी। इन दो श्रेणियों से जब मान्यता के लिये प्रार्थनायें आती हैं तब उनसे कुछ भिन्न तत्वों के अनुसार बर्ताव किया जाता है ? इन तत्वों को औपचारिक नियमों अथवा विनियमों के द्वारा साकार नहीं किया गया है किन्तु उन्हें सम्बन्धित प्रशासकीय प्राधिकारियों की मार्गदर्शक हिदायतों का रूप दिया गया है। उन में बताया गया है कि जिन संथाओं तथा कार्मिक संघों के संविधान तथा नियमों में सरकार तथा कर्मचारियों के बीच के सम्बन्धों पर

अनुचित प्रभाव डालने वाली बातें हों, उन्हें मान्यता नहीं दी जानी चाहिये । इन में से किसी हिदायत द्वारा भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ का अतिक्रम नहीं होता ।

(ग) ७ नवम्बर, १९५२ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) हां, परिस्थिति का समर्थन प्राप्त होने पर क्वचित् अपवाद किया जाता है।

एम० ई० एस० कर्मचारियों के संघ

***३१३. श्री विट्टल राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या निम्नलिखित एम० ई० एस० कर्मचारियों के संघों में से किसी को भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली है :

(१) अखिल भारतीय एम० ई० एस० कर्मचारी संघ, लखनऊ ;

(२) युक्त प्रदेश एम० ई० एस० कर्मचारी संघ, आगरा ; तथा

(३) एम० ई० एस० कर्मचारी संघ (क्षेत्र समिति), अम्बाला ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (१) तथा (२) के बारे में उत्तर नकारात्मक है । (३) के बारे में कुछ शर्तों पर मान्यता देने का विचार है ।

सेना मुक्त कर्मचारियों का निवृत्ति वेतन

***३१४. श्री सादत अली खान :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद सेना के सेनामुक्त कर्मचारियों के निवृत्तिवेतन विषयक मामलों में से कितने निबटाये गये हैं ?

(ख) अभी कितने मामले बाक़ी हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ७९५५ ।

(ख) ५७१ ।

हैदराबाद में केन्द्रीय अधिकारी

***३१५. श्री सादत अली खान :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य सेवाओं के श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ श्रेणियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : पांच । एक श्रेष्ठ श्रेणी में और चार कनिष्ठ श्रेणी में ।

राजस्थान में अकाल निवारण के लिये सहायता

***३१७. श्री मुरारका :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान सरकार ने अकाल निवारण के लिये कोई सहायता मांगी है ?

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर हां में है, तो क्या भारत सरकार द्वारा कोई राशि मंजूर की गई है और यदि है, तो कितनी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां ।

(ख) भारत सरकार ने सहायता के लिये पहले ही दिये हुए तदर्थ विकास अनुदान में से २० लाख रुपये अकाल क्षेत्र में सड़कों तथा नहरों के कामों पर ख़र्च किये जायेंगे । अग्रेतर आवश्यक सहायता के बारे में राज्य सरकार से ब्योरेवार प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इण्डियन इन्स्टिट्यूशन आफ़ टैक्नालाजी

***३१८. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ़ टैक्नालाजी, खरगपुर, में कोई गवेषणा कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की गवेषणा वहां की जाती है ; तथा

(ग) गवेषणा कार्य में लगे हुए लोगों में से कितने परकीय हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां।

(ख) व्यावहारिक गवेषणा। जिन क्षेत्रों में गवेषणा जारी है उन में से कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार है :

(१) हाई प्रेशर टेक्निकल रिएक्शन्स।

(२) अप्रांगारीय रसायन शास्त्र।

(३) प्रांगारीय रसायन शास्त्र।

(४) व्यावहारिक रसायन शास्त्र।

(५) पदाथवैज्ञानिकरसायनशास्त्र।

(६) रासायनिक स्थापत्य शास्त्र।

(७) वनस्पति शास्त्र।

(८) व्यवहारिक गणित शास्त्र।

(ग) गवेषणा में लगे हुए ५४ लोगों में से २ जर्मन हैं और शेष भारतीय हैं।

भील पलटनें

२३७. श्री भीखाभाई : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत स्वतन्त्र होने के पहले राजस्थान, पश्चिम खान्देश तथा मध्य-भारत में भील पलटनें वनी हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो पूरे भारत में ऐसी पलटनों की संख्या तथा नाम ;

(ग) अभी बनी हुई पलटनों की तथा तोड़ दी गई पलटनों की संख्या ; तथा

(घ) उनके तोड़ दी जाने के कारण ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ब्रिटिशों के शासनकाल में निम्न भिल्ल पलटनें बनी हुई थीं :

मेवाड़ भील पलटन
मालवा भील पलटन।

(ख) उक्त भिल्ल पलटनों के अलावा निम्न पलटनें, जिनके नामों से प्रतीत होता है कि उन में आदिम जाति के लोगों का समावेश होता होगा, बनी हुई थीं :

लुशाई पहाड़ी पलटन
नागा पहाड़ी पलटन

(ग) लुशाई पहाड़ी पलटन तथा नागा पहाड़ी पलटन अभी भी मौजूद हैं और उन्हें क्रमशः प्रथम आसाम रैफ़ल्स (लुशाई पहाड़ी) तथा तृतीय आसाम रैफ़ल्स (नागा पहाड़ी) कहा जाता है। मालवा भिल्ल पलटन जून, १९४९ में मध्य भारत सरकार द्वारा तोड़ दी गई। मेवाड़ भिल्ल पलटन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु नवम्बर, १९४९, तक वह मौजूद थी।

(घ) दोनों भिल्ल पलटनें अनियमित सेनाएं होने के कारण, मध्य-भारत अथवा राजस्थान में उन्हें नियमित भारतीय राज्य सेनाएं नहीं माना जाता था। अतः भारत सरकार को उनके तोड़े जाने के कारण मालूम नहीं हैं।

जवार खदानें

२३८. श्री भीखा भाई : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के उदेपुर जिले की ज़वार खदानों की उत्पादन क्षमता विदित है ;

(ख) क्या सरकार ने कभी वहां धातु गलाने का कारखाना स्थापित करने की वांछनीयता महसूस की ; तथा

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की मांग करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख), हां ।

(ग) जी हां । राजस्थान राज्य में जस्ता गलाने का कारखाना स्थापित करने की मांग करने वाले दो अभ्यावेदन अभी अभी प्राप्त हुए हैं ।

खेती की जमीनों का वितरण

२३९. श्री कर्णी सिंहजी : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या २९ जुलाई, १९५२ को मेरे प्रश्न संख्या २२४५ द्वारा राजस्थान के नहर सिंचाई क्षेत्रों को खेती की जमीनें विस्थापित व्यक्तियों में वितरित की जाने के बारे में पूछी गई जानकारी एकत्रित की गई है ?

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो, तो वह जानकारी सदन पटल पर कब रखी जाएगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]**

पंचवर्षीय योजना

२४०. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : (क) क्या वित्त मंत्री पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर अभी तक लगाई गई कुल धन राशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या नए सुझावों तथा आलोचनाओं का ख्याल करते हुए उक्त योजना को अब भी संशोधित किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) सन् १९५१-५२ में तथा सन् १९५२-५३ में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गए विकास व्यय का मोटा प्राक्कलन ६०० करोड़ रुपए का है ।

(ख) जी नहीं ।

प्राचीन वनस्पति शास्त्र की संस्था

२४१. सरदार हुक्म सिंह : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ में प्राचीन वनस्पति शास्त्र की संस्था के भवन का उद्घाटन हो गया है ?

(ख) इस संस्था में कौन सी गवेषणा की जाएगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां ।

(ख) वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

नौ सेना की गोदी

***२४२. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नौसेना की गोदी के प्रस्तावित विस्तार का प्राक्कलित निर्माण-खर्च ;

(ख) विस्तार कार्य पूरा होने के लिए लगने वाला संभाव्य समय ;

(ग) क्या इसी प्रकार किसी अन्य गोदी का विस्तार हो रहा है ; तथा

(घ) यदि हां, तो इस पर होने वाला कुल खर्च ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :
(क) २४ करोड़ रुपए ।

(ख) १५ वर्ष ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी (कला तथा शिल्प)

२४३. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लोकनृत्य, संगीत तथा उनकी अपनी कला एवं शिल्पों की परंपरा को प्रोत्साहन देकर उसका विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है ; तथा

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष मंडली अथवा समिति स्थापित की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) : यह मुख्यत: राज्य सरकारों से संबंधित विषय है । अपितु, उन्हें सूचित किया गया है कि अनुसूचित आदिमजातियों के सांस्कृतिक विकास के लिए एवं उनके लोकगीतों तथा लोककथाओं का संकलन करने के लिए और वन्य जीवन के अन्य रोचक पहलुओं का संरक्षण करने के लिए उन्हें सांस्कृतिक गवेषणा संस्थाएं स्थापित करनी चाहिएं । उन्हें यह भी बतलाया गया है कि इन संस्थाओं को चलाने का खर्च वे अपनी उन कल्याण योजनाओं में दर्ज करें जो संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन सहायक अनुदान प्राप्ति के लिए वे केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय का पुस्तकालय

२४४. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सचिवालय का पुस्तकालय भारत सरकार के विभिन्न विभागीय पुस्तकालयों की किस प्रकार मदद करता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय पुस्तकालय का इन पुस्तकालयों पर कोई नियंत्रण है ; तथा

(ग) केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय द्वारा सेवारत लोगों के लिए जो पुस्तकालय प्रशिक्षणक्रम चलाया गया उसके अंतर्गत इन विभागीय पुस्तकालयों के कितने कर्मचारियों ने आज तक शिक्षण पाया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) केन्द्रीय सचिवालय का पुस्तकालय विभागीय पुस्तकालयों की सहायता निम्न प्रकारों से करता है :

(१) उनकी मांगी हुई पुस्तकें देकर ;

(२) उनके प्रशिक्षणहीन कर्मचारियों को प्रात्यक्षिक शिक्षण दे कर;

(३) हर पखवाड़े में नई दाखिल हुई पुस्तकों की सूची परिचालित कर के (उन से संबंधित विभागों द्वारा) ;

(४) विभागीय पुस्तकालयों के अधिकारियों द्वारा पूछे गए विभिन्न निर्देश प्रश्नों के उत्तर देकर तथा उन्हें केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध उपकरणों एवं सामग्री का उपयोग करने की सुविधाएं दे कर ।

(ख) नहीं ।

(ग) १९ व्यक्ति ।

निवृत्ति वेतन मण्डली

२४५. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रक्षा मंत्रालय की निवृत्ति वेतन मण्डली कब गठित हुई तथा कब तोड़ दी गई ;

(ख) वे मामले जो उसे तोड़ देने के समय लम्बित थे :

(ग) उसके बाद जमा हुए मामले तथा आज के अनिर्णीत मामले ; तथा

(घ) मामलों के वे प्रकार जिन्हें आज निवृत्ति वेतन दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) यह अनुमान किया जाता है कि निवृत्ति वेतन अपील अधिकरण व्यवस्था का निर्देश किया जा रहा है । यह जनवरी १९४७ में गठित हुई और अभी जारी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रथमार्ध में पूछा गया प्रश्न नहीं उठता । उत्तरार्ध के बारे में, १ फरवरी, १९५३ को अधिकरण के सामने लम्बित मामलों की संख्या १९५ थी ।

(घ) विहित शर्तों की पूर्ति के अधीन, सैनिक बलों के किसी सदस्य के, सेवा के कारण हुए घाव, रोग अथवा चोट के फल स्वरूप, अंगहीन अथवा मृत हो जाने पर उसे अथवा उसके परिवारियों को निवृत्ति वेतन अथवा पारितोषिक दिया जाता है । नियमों में अर्हतादायी स्थायी सेवा की दीर्घता के आधार पर निवृत्ति वेतन दिये जाने का प्रबन्ध भी किया गया है ।

भारत में बोली जाने वाली भाषायें

२४६. श्री बर्मन : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय संघ में कितनी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : १९५१ की जनगणना में एकत्रित की गई भाषा विषयक जानकारी को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । वह जानकारी तैयार होने के बाद उसे भारतीय जनगणना की पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने का इरादा है ।

स्थापत्य महाविद्यालयों को अनुदान

२४७. श्री वी० पी० नायर : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) स्थापत्य महाविद्यालयों को अनुदान देने के विषय में भारत सरकार की नीति ; तथा

(ख) क्या १९५० के बाद इस नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ; और यदि है, तो क्यों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकार की नीति ऐसे स्थापत्य महाविद्यालयों को अनुदान देने की रही है कि जो कम से कम पदवी परीक्षा तक के प्रशिक्षण का प्रवन्ध करते हैं और जिन्हें सामग्री के विस्तार एवं सुधार के लिए तथा उचित स्तरों को बनाये रखने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है । ये अनुदान अखिल भारतीय शिल्पिक शिक्षण परिषद् की सिपारिशों के अनुसार दिये जाते हैं ।

(ख) १९५० के बाद नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । किन्तु इस समय संस्थाओं की श्रेणियों तथा उनके पाठ्यक्रमों के स्तर के बारे में उक्त नीति का पुर्नविलोकन हो रहा है । यह पुर्नविलोकन पंच वर्षीय योजना की पार्श्वभूमि पर हो रहा है ।

राज्यों के स्थापत्य महाविद्यालयों को अनुदान

२४८. **श्री बी० पी० नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित स्थापत्य महाविद्यालयों को अनुदान देती है और यदि है, तो क्या सदन पटल पर एक विवरण रखने का सरकार का विचार है जिसमें कि सन् १९५०-१९५१ तथा १९५२ में दिये गये अनुदानों की राशियां महाविद्यालयानुसार बतायी गई हों; तथा

(ख) क्या १९५०-५३ की अवधि में इस प्रकार के किसी महाविद्यालय को तदर्थ अनुदान दिया गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७**].

ये सारे अनुदान तदर्थ रूप में दिये गये थे।

केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था

२४९. **श्री बी० पी० नायर :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय औषधि गवेषणा संस्था में उष्ण प्रदेश के रोगों पर इलाज खोजने के लिये प्रयोग करने वाले गवेषणाकारियों की संख्या ; तथा

(ख) इन गवेषणाकारियों के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें तथा उन्हें दिये जाने वाला प्रारम्भिक वेतन ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) उष्ण प्रदेश के तथा अन्य रोगों पर इलाज खोजने के लिये २० कार्यकर्ता इस संस्था में गवेषणा कर रहे हैं।

(ख) लखनऊ की केन्द्रीय औषधी गवेषणा संस्था में गवेषणाकारियों के लिये किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की एम० एस० सी० अथवा एम० बी० बी० एस० की पदवी की न्यूनतम अर्हता रखी गई है । गवेषणाकारियों के लिये कनिष्ठतम वेतन श्रेणी रु० १६०—१०—३३० की है और पहले दर्जे के एम० एस० सी० अथवा एम० बी० बी० एस० को इस श्रेणी में रु० २०० का प्रारम्भ दिया जाता है ।

गिर का जंगल

२५०. **श्री दाभी :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सौराष्ट्र का गिर का जंगल ही भारत का एकमेव जंगल है जहां सिंह पाये जाते हैं ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार की पूर्व अनुमति बिना सिंहों का शिकार करना मना है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर हां में हो, तो क्या यह तथ्य है कि अभी अभी बम्बई तथा सौराष्ट्र के कुछ अधिकारियों ने सरकार की अनुमति बिना गिर के जंगल में कुछ सिंहों की शिकार की ; तथा

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर हां में है, तो इन अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां

(ख) सौराष्ट्र की सरकार ने सिंह,सिंहनी तथा उनके बच्चों के प्रति वन्य पक्षी तथा पशु अधिनियम, १९१२, के उपबन्ध लागू कर दिये हैं और गिर के जंगल को पूरे वर्ष के लिये

'बन्द क्षेत्र' घोषित किया । गिर के जंगल में अनुज्ञा के बिना सिंह का शिकार करना मना है और यह अनुज्ञा क्वचित् ही दी जाती है ।

(ग) तथा (घ). गिर के जंगल में ६ सिंहों तथा एक बच्चे के मृत शरीर पाये गये जिनमें बन्दूक की गोली के चिन्ह थे । बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले की जांच हो रही है ।

सांख्यकी

२५१. श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सांख्यकी की सुधारित रीतियों का अध्ययन करने के लिये कलकत्ते में एक संस्था स्थापित की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : कोई नई संस्था नहीं स्थापित की गई है ।

रबड़ का स्थानापन्न

२५२. श्री बी० एन० राय : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के स्थानापन्न का आविष्कार करने के लिये कोई गवेषणा जारी है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) गत दो वर्षों की अवधि में भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के प्लैस्टिक विभाग में फैक्टिस नामक रबड़ के स्थानापन्न के उत्पादन के प्रयोग जारी हैं । वहां तमाखू के बीजों के तेल से भूरे तथा सफ़ेद रंग का फैक्टिस बनाया गया है । इस भूरे तथा सफ़ेद फैक्टिस के १ पौंड वाले नमूने के डिब्बे दिसम्बर १९५२ में बेंगाल वाटर-प्रूफ़ वर्क्स, लिमिटेड, कलकत्ता, को प्रयोग के लिये दिये गये थे ।

अनुसूचित आदिमजातियां तथा क्षेत्र

२५३. श्री भीखाभाई : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में किसी जाति को अनुसूचित ठहराने के लिये लगाई जाने वाली कसौटियां ; तथा

(ख) विभिन्न राज्यों में किसी क्षेत्र को अनुसूचित ठहराने के लिये लगाई जाने वाली कसौटियां ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान १५ फ़रवरी, १९५१ को कुछ संसद् सदस्यों के नाम निकाले गये ज्ञापन की ओर, जिसकी प्रतिलिपि १० अप्रैल, १९५१, को सदन पटल पर रखी गई थी, आकर्षित किया जाता है ।

(ख) सम्बन्धित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अधिकता ।

रेडियो ऐक्टिव तत्वों से पूर्ण नई धातु

२५४. श्री एन० आर० नायडू : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि दक्षिण भारत में थोरियम तथा युरैनियम जैसे रेडिओ-ऐक्टिव तत्वों से पूर्ण नई धातु का आविष्कार हुआ है ?

(ख) उसकी रचना कैसी है तथा उसके अनुसन्धान का प्रबन्ध किये जाने के बाद उसका क्या उपयोग किया जायगा ?

(ग) क्या इस धातु का इंगलिस्तान को निर्यात करने का इरादा है ?

(घ) क्या उक्त धातु की वितरण योजनाओं से इस तथ्य का कोई सम्बन्ध है

कि लन्दन के भूतत्वीय संग्रहालय में इसका प्रदर्शन हुआ था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) भारतीय भूतत्वज्ञों को सन् १९४५ से तथाकथित नई धातु 'चेरैलाइट' का पता था ।

(ख) यह धातु युरेनियम तथा थोरियम के फ़ौस्फ़ेट की बनी हुई है । यह धातु अत्यन्त अल्प मात्रा में उपलब्ध है और स्पष्टतः कोई वाणिज्यिक महत्व नहीं रखती ।

(ग) अत्यल्प मात्रा में धातु उपलब्ध होने के कारण अभी निर्यात का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह स्पष्ट है कि एक वैज्ञानिक कुतूहल के नाते उसे लन्दन के भूतत्वीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया । अणुशक्ति आयोग के भूतत्वीय परामर्शदाता ने भी उक्त धातु का नमूना प्राप्त कर लिया है ।

भूतत्वीय परिमाप

२५५. **श्री मेघनाद साहा : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप के अभिलेखों, स्मृतियों तथा प्रतिवेदनों का प्रकाशन अद्यावत् है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो प्रकाशन में विलम्ब के कारण ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) । भारत के भूतत्वीय परिमाप के संचालक द्वारा दी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८**]

हैदराबाद में बसाये गये विस्थापित व्यक्ति

२५६. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक हैदराबाद राज्य में कितने विस्थापित व्यक्ति बसाये गये हैं ?

(ख) क्या भारत सरकार ने हैदराबाद सरकार को विस्थापित व्यक्तियों में ऋण बांटने के लिये कोई धन राशि दी है ?

(ग) यदि हां, तो अभी तक उक्त राशि में से कितना अंश वितरित हो चुका है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) लगभग ५००० ।

(ख) १९५२-५३ के अन्दर विस्थापित व्यक्तियों को देहाती ऋण देने के लिये हैदराबाद राज्य के लिये १·८० लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है ।

(ग) कुछ भी नहीं ; क्योंकि राज्य सरकार को यह मंजूरी अभी अभी सूचित कर दी गई है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

२५७. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिये अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

(ख) आज तक इसमें से कितनी राशि उन्हें दी जा चुकी है ?

(ग) कितने न दिये गये ऋण अब तक रद्द हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) फरवरी, १९५३ के पहले हफ्ते तक पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिये मंजूर किये गये ऋणों की कुल राशि ९·४८ करोड़ रुपये है । मंजूर किये जाने के बाद रद्द किये गये ऋणों का समावेश इस राशि में नहीं है ।

(ख) उस समय तक ५·४० करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई ।

(ग) अभी तक १५२३ ऋण, जो पहले मंजूर हुए थे और जिनकी कुल राशि १.२८ करोड़ रुपये की है, रद्द कर दिये गये हैं।

जिलाधिकारियों को सौंपे गये मामले

२५८. ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर: (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा क़र्ज़दारों के कितने मामले ज़िलाधिकारियों को सौंपे गये हैं ?

(ख) सरकार ने ऐसे कितने ऋण ज़िलाधिकारियों द्वारा वसूल किये ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) ३१ जनवरी, १९५३ तक ज़िलाधिकारियों को सौंपे गये मामलों की संख्या इस प्रकार थी: (१) ऋण की पूरी राशि वसूल करने के लिये ३३५ और (२) ऋण के समय पर अदा न की हुई किश्तें वसूल करने के लिये १२३ ।

(ख) ज़िलाधिकारी को सौंपने के बाद पूरी राशि वसूल करने के मामलों में से ६७ मामलों में तथा हफ्ते वसूल करने के मामलों में से ५४ मामलों में प्रशासन तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच पैसे चुकाने के बारे में समझौते हुए और प्रशासन ने ज़िलाधिकारियों को आगे की कार्यवाही लम्बित रखने की सूचना दी । अन्य मामलों में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ ।

बिहार तथा पूर्निया में विस्थापित व्यक्ति

२५९. श्री एम० इस्लामुद्दीन: क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में तथा पूर्निया जिले में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की विद्यमान संख्यायें ;

(ख) उक्त राज्य तथा ज़िले में फिर से बसाये गये व्यक्तियों की संख्यायें ; तथा

(ग) उन्हें फिर से बसाने पर अब तक किया गया खर्च ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) १९५१ की जनगणना के अनुसार:

बिहार	७९००००
पूर्निया ज़िला	१८०००

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान २४ जुलाई, १९५२ को श्री बीरेन दत्त द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० के भाग (ख) को दिये गये मेरे उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) अक्तूबर, १९५२ तक १,१९,२२,०८४ रुपये ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
२४ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, २४ फरवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

कोलार सवर्ण क्षेत्र के श्रमिकों पर गोली वर्षा

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है । मेरी राय में वह विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है; फिर भी में उस विषय में कुछ जानना चाहता हूं । मुझे श्री आनन्द नम्बियार से "२३ फरवरी, १९५३ को पुलिस द्वारा कोलार सुवर्ण क्षेत्र के श्रमिकों पर हुई गोली वर्षा जिस में १ व्यक्ति उसी स्थान पर मारा गया तथा अन्य अनेक व्यक्ति घायल हुए" उस के बारे में सूचना मिली है । आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस पर टिप्पणी प्रकाशित हुई है ।

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : हमें कोई जानकारी नहीं है । जानकारी मंगवा कर सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

एक माननीय सदस्य : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक व्यक्ति के मारे जाने तथा अनेकों के घायल होने के कारण मैं ने यह आवश्यक समझा कि इस सरकार को भी उक्त विषय के बारे में जानकारी रखनी चाहिये । माननीय मंत्री को इस की सूचना मिल चुकी है । वे जानकारी मंगवा कर सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे । मुझे इस प्रस्ताव को अनुमति देना आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

१९५२-५३ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--रेलवे

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं सदन के सामने १९५२-५३ वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा रेलवे के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण सविनय प्रस्तुत करता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या IVu.a. (86e)**]

रेलवे आयव्ययक—साधारण चर्चा—जारी

डा० कृष्णास्वामी (कांची पुरम्) : हमें खुशी है कि माननीय रेल मंत्री ने ऐसी सुबोध भाषा में भाषण दिया जो हम विरोधियों में से बहुसंख्य सदस्य समझ पाए ।

इस आय व्ययक में कुछ अशुभ सूचक बातें हैं। रेलों के बारे में सन्तुष्टतावृत्ति स्वीकार करने की कोशिश करने से कोई लाभ नहीं होगा ।

[डा० कृष्णास्वामी]

साधारणतः यह मान लिया जाता है कि समाजवाद के सिद्धान्त पर चलने वाला उपक्रम किसी न किसी तरह से प्रगति ही करता है। यह श्रद्धा भ्रामक है। समाजवादी उद्योगों को भी निजी धन्धों के तत्वों पर चलाना आवश्यक है।

योजना आयोग द्वारा हमारी भविष्य की आवश्यकताओं का जो अनुमान लगाया गया है उसे ख्याल में रखते हुए, मैं यह कहने का साहस करूंगा कि अवशिष्ट ३ वर्षों में हमारी माल वाहक शक्ति में ३० प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए; १० प्रतिशत की नहीं जैसी कि माननीय मंत्री ने अपेक्षा की है। मुझे मालूम है कि इस पर यह आपत्ति उठाई जाएगी कि इतने बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने के लिए आवश्यक वित्त नहीं है। किन्तु यह युक्ति देकर निष्क्रीय बैठे रहना उचित नहीं है, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने की दृष्टि से प्रस्तुत आयव्ययक संतोषजनक नहीं है।

योजना आयोग ने चालू तथा अवशिष्ट पुनस्र्थापना के काम पर प्रति वर्ष ६४ करोड़ रुपए खर्च करने की सिपारिश की है। किन्तु इस वर्ष के आयव्ययक-प्राक्कलन में इस काम के लिये ७२ या ७३ करोड़ से अधिक रुपए रखे गये हैं। इस से जाहिर है कि रेलवे मंत्री भी अनुभव करते हैं कि रेलों में लगाई गई पूंजी का मूल्य कायम रखने के लिये तथा अवशिष्ट पुनस्र्थापना का काम पूरा करने के लिये योजना आयोग द्वारा सिपारिश की गई कृपणता से काम लेना उचित नहीं होगा। अवक्षयण के इस प्रश्न पर गंभीर चिन्ता के साथ गौर किया जाना चाहिये। हमारी सदिच्छा कितनी भी तीव्र हो, फिर भी रेलों को जो निधि उपलब्ध है उन में से हम अवशिष्ट पुनस्र्थापना का अत्यल्प अंश पूरा कर सकेंगे।

रेल की सम्पत्ति के कोष्ठक पर दृष्टि डालने से अनेक तथ्य प्रगट होते हैं और हमारी रेल के वित्तीय ढांचे पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। ये एक ऐसा उद्योग है जिस में देश ने ८६४ करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है, जिस पर हम प्रति वर्ष सामान्य कोष को ४.१९ प्रति शत का लाभांश देते हैं। हमारे पास १०१.८ करोड़ रुपए का अवक्षयण संचित निधि है। अन्त में हमारे पास विकास कार्यों के लिय १९.२ करोड़ रुपए की राशि है।

जब आप भावी कर्तव्यों का विचार करते हैं तब आप को तीन बातों पर गौर करना चाहिये : रेलों में किस प्रकार वृद्धि करनी चाहिये; नई लाइनें किस प्रकार बनानी चाहियें तथा कितनी निधियां उपलब्ध हैं? यह कहना निरर्थक है कि इन कामों के लिए केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी से हमें कुछ धन मिलेगा। आप के द्वारा उपलब्ध निधि खर्च किये जाने के बाद आप खुले बाजार में ऋण की प्रार्थना नहीं कर सकते और यद्यपि आप ने ऋण प्राप्त कर लिया तो भी उस से आप को तथा निजी उद्योगों को हानि पहुंचेगी।

आज सारा स्थूल खर्च घटाने के बाद, हमारे पास ५३ करोड़ रुपए बचते हैं। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है क्योंकि इसी में से हमें अवशिष्ट पुनस्र्थापना करनी होगी, नये काम हाथ में लेने होंगे और केन्द्रीय सरकार को लाभांश भी देना होगा। इन कामों के लिये ५३ करोड़ रुपए की राशि अत्यल्प है। इस परिस्थिति की पृष्ठभूमि में हमें यात्रियों तथा मालवहन द्वारा होने वाली आमदनी के झुकावों की ओर देखना होगा।

रेल मंत्री ने अपने भाषण में हमें विधायक सूचना पेश करने के लिए कहा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आज हमें आय तथा व्यय के बीच का अंतर बढ़ाना चाहिये।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के कौन कौन से मार्ग हैं ? हमें अनावश्यक खर्च कम कर देना चाहिये । और इस तरीके से जो निधि बचेगी उसे पूंजी विस्तार में लगा देना चाहिये । माल गाड़ियों में पूरे ब्रेक वाले डिब्बे लगाने से उनकी गति बढ़ सकती है और इस से प्रति वर्ष लाखों रुपयों की बचत हो सकती है । गोदामों का स्थानांतर तथा आधुनिकीकरण करने से हमारा खर्च काफ़ी कम हो जाएगा ।

अब इन सुधारों के लिये आवश्यक वित्त कहां से प्राप्त किया जाए ? १५ या २० करोड़ रुपए की घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा ये सुधार किये जाने चाहियें । इस में मुद्राविस्तार का कोई भय नहीं होगा । जब तक विस्तार या सुधार की किसी योजना द्वारा २ या ३ वर्षों में आमदनी बढ़ना निश्चित न हो तब तक उस पर घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा खर्च नहीं किया जाना चाहिये । ब्रिटिश यातायात आयोग ने खर्च घटाने के तथा आमदनी बढ़ाने के विभिन्न मार्ग बनाये हैं ।

रेलों के पुनर्वर्गीकरण को जल्दी से जल्दी रद्द कर देना आवश्यक है । चालू खर्च अधिक बुद्धिमानी से करने के लिये तथा पूंजी लगाने की नीति निर्धारित करने के लिये प्रस्तुत पुनर्वर्गीकरण को तोड़ कर विभिन्न विभागीय इकाइयों में बांट देना आवश्यक है । इस से हमें खर्च करने तथा पूंजी लगाने के उचित मार्गों का पता लगेगा ।

यदि रेल मंत्री ने इन समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार नहीं किया तो आगामी ६–७ वर्षों में रेलों की स्थिति बहुत खराब हो जाने की संभावना है ।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : माननीय रेल मंत्री का भाषण निराशाजनक अवश्य रहा, किन्तु केवल उन के लिये जो सदा आलोचना ही करते रहते हैं । उन्हें प्रस्तुत आयव्ययक में आलोचना करने लायक बातें अधिक नहीं मिलीं ।

प्रथम हम रेलों की वित्तीय स्थिति का विचार करेंगे । सन् १९४९ में हम ने जो वित्तीय प्रथा प्रस्ताव स्वीकृत किया था वह बहुत संतोषजनक साबित हुआ है । जो पैसा जिस काम के लिये रखा गया था उसी काम पर वह पैसा खर्च किया गया है ।

मेरे माननीय मित्र डा० कृष्णास्वामी ने कहा कि १९५३-५४ के अन्त में विकास निधि मे केवल १९ करोड़ रुपए संचित हैं ।

[**श्रीमती अम्मू स्वामिनाथन** अध्यक्ष पद पर आसीन थीं]

किन्तु यह निधि रेलों के विकास के लिये नहीं रखा गया है जैसा कि मेरे माननीय मित्र समझते हैं । वह तो केवल यात्रिकों की सुविधाओं, श्रमिकों के कल्याण तथा लाभ-शून्य लाइनों के बनाने पर खर्च करने के लिये है है । उन्होंने स्वयं बताया है कि प्रस्तुत आय-व्ययक में रेलों के विकास के लिये ७० करोड़ रुपए रखे गये हैं । अतः मेरी राय में, उन की यह आलोचना निराधार थी कि १९ करोड़ रुपए का यह विकास निधि आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त है ।

रेलों की स्थायी वित्त समिति की पुनर्नियुक्ति उपयुक्त साबित होगी । सदन के सामने आयव्ययक प्रस्तुत करने से पहले यदि तदंतर्गत प्राक्कलनों की स्थायी वित्त समिति द्वारा जांच की गई तो वह जांच बहुत लाभ-दायक होती है ।

१९५०-५१ में यात्रिकों ने कुल ४१० लाख और कुछ मीलों की यात्रा की । किराये की दरें बढ़ाई जाने के तुरन्त बाद यह आंकड़ा ३९० लाख और कुछ मीलों तक गिर गया । माननीय मंत्री ने सर्वव्यापी आर्थिक मन्दी को इस का कारण बतलाया है । किन्तु रेलों के किराये से आय में कमी होने का एक कारण यह है कि किराया बढ़ गया है ।

[श्री वेंकटारमन्]

इस का अर्थ यह नहीं कि तुरन्त किराये कम कर देने के लिये मैं अपील कर रहा हूं। मैं नहीं मानता कि प्रसंगवश प्रवास करने वाले यात्रिकों पर एक पाई से किराया बढ़ने का कोई गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस का व्यापारी वर्ग पर बहुत असर पड़ता है। मैं लम्बी सफर करने वालों के लिये १० या १५ दिन चलने वाला वापसी टिकट जारी कर देने की सिपारिश करना चाहूंगा।

मेरे मित्र श्री दामोदर मेनन तथा श्री श्रीकान्तन नायर ने बताया कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और यह एक भयसूचक बात है। लेकिन इस के पहले हमें यह भी ख्याल में रखना चाहिये कि भूतपूर्व रियासतों की रेलों का विलीनीकरण हुआ है और उन के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी भी हमारी सूचियों में दर्ज हुए हैं। अतः मैं नहीं समझता कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में बहुत भारी वृद्धि हुई है।

सन् १९३८-३९ में प्रथम श्रेणी के १७८४ अधिकारी थे और उन्हें ३०६ लाख रुपए दिये गये। सन् १९५१-५२ में प्रथम श्रेणी के २२६८ अधिकारी होते हुए भी उन्हें केवल २९१ लाख रुपए दिये गये। यद्यपि उन की संख्या बढ़ गई है किन्तु उन के वेतन में कमी हो गयी है। केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन पढ़ने से मेरे माननीय मित्र को विदित होगा कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के वेतन का सार स्वातंत्र्य-पूर्व काल के वेतन-स्तर से कम कर दिया गया है।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की अवस्था सब से बुरी हुई है। उन का वास्तविक वेतन बुरी तरह घट गया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। यद्यपि मूल्यवृद्धि के हिसाब से उन के वेतन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी उन्हे काफी सहूलियत प्राप्त हुई है। किन्तु तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बुरी तरह पीसे गये हैं और रेलवे प्रशासन को चाहिये कि उन की दशा सुधारने की शीघ्र तथा ठोस कोशिश की जाए।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज नादुरुस्त इंजनों की संख्या बहुत बड़ी है। कुल ७८८२ इंजिनों से में १३८१ नादुरुस्त हो कर पड़े हैं और मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें शीघ्र दुरुस्त करने की कोशिश की जानी चाहिये। इस काम में श्रमिक संघ भी हाथ बटा सकते हैं।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम) : **मैं माननीय मिनिस्टर** को रेलवे बजट पर मुबारकबाद देती हूं। पेश्तर इस के कि बजट पर कुछ कहूं, मैं चाहती हूं कि आनरेबुल एन्थोनी साहब ने जो रेलवे बजट पर इतने एतराज किये हैं, मैं उन ऐतराजात का जवाब उन को दे दूं। मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब मैं ने कल उन की स्पीच सुनी, क्योंकि वह एक बड़े काबिल वकील हैं और जिस वक्त वह यहां पर व्याख्यान दे रहे थे, उस वक्त वह उसी तरह से बोल रहे थे जैसे कि एक लाईयार (Lawyer) कचहरी में अपना मुक़दमा पेश करता है, उन्होंने अपना मुक़दमा बड़े जोश से पेश किया। जब वह बोल रहे थे मैं ने उन की स्पीच को गौर से सुना। शुरू में उन्हों ने यह कहना शुरू कर दिया कि एक बहुत ही रोज़ी पिक्चर (Rosy picture) खूबसूरत तस्वीर बजट की बनायी है, इसके अन्दर उन को बहुत शक मालूम हुआ और उन्हों ने अपने तरीके से मोड़ तोड़ कर एक तस्वीर खींच ली। मैं उन को यह बताना चाहती हूं कि उन्होंने जो यह कहा है कि : "वह सुरक्षितता की भ्रामक कल्पना पर आधारित है। अतः वह भयप्रद है।"

यह अल्फाज उन के थे, तो मैं अपने दोस्त को बताना चाहती हूं कि अगर वह समझ कर बजट को देखें तो पायेंगे कि वह बिल्कुल डैंजरस नहीं है, उस में न फाल्स सिक्योरिटी है और न डैंजर्स हैं, बल्कि यह निहायत स्ट्रेट फार्वर्ड-रोजी बजट हमारे सामने रक्खा गया है। साथ ही मैं यह भी बता दूं कि इस बजट में पालिटिक्स भी नहीं दिखाई देती है, बजट को चाहे किसी पहलू से देखा जाय इस के अन्दर कहीं पालिटिक्स नहीं है और न यह ऐब्सलूट शैम्बल्स की तस्वीर दिखाई देती है और मैं अपने आनरेबुल मेम्बर को बताऊं कि हमारे जितने बजट यहां आते हैं, गवर्नमेंट हर चीज़ जो यहां लाती है, वह प्लेयिंग टु दी गैलरी नहीं है और हमारे मिनिस्टरान जो भी चीज़ें हमारे सामने पेश करते हैं वह प्लेयिंग दी फूल भी नहीं है, यह सारे फैक्ट्स और ऐतराजात कल आनरेबुल मेम्बर ने अपनी स्पीच में पेश किये थे और मैं सोच में थी कि इतने काबिल बैरिस्टर होते हुए उन्हों ने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की। इस तरह के अल्फ़ज और ज़बान गालीबन ला कोर्ट में ठीक होती होगी।

मुझे जो बजट में दिखाई देता है उस के बारे में यह कहना है कि जिस वक्त इंसान गरीबों को उठाता है और गरीबों के फायदे के लिए कोई चीज़ कहता और करता है तो वह चीप एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, इस बजट में भी गरीबों को उठाने के वास्ते चन्द चीजें रखी हैं। मैं अपने एन्थोनी साहब से यह जरूर कहना चाहती हूं कि जब इस बजट को मैं देखती हूं और इस में थर्ड क्लास की ट्रेवलिंग के सुधार का सुझाव देखती हूं, गरीब रेलवे इम्पलायीज के फायदे के लिए उस में चीज़ें देखती हूं, उन को मकान दिये जाने की बात जब मैं उस में पाती हूं तो मुझे मालूम होता है यह बजट जो है वह पीपुल्स बजट है और मुझे इस बजट में वह तस्वीर कहीं नहीं दिखाई देती जो मेरे उधर बैठने वाले भाइयों को दिखाई देती है। पहली चीज़ जो बजट में हमें देखना चाहिए, वह यह है कि पिछले पांच सालों से जब से मुल्क की हुकूमत की बागडोर हमारे हाथ में आई है, हम ने कितनी तरक्की की है। हम देखते हैं कि इस पांच साल के अर्से में हमने वाकई बहुत काफ़ी तरक्की की है और इस तरक्की को देखकर हम केवल एक दूसरे को ही मुबारक बाद नहीं करते हैं बल्कि हम अपने साथ २ अपने मिनिस्टर को भी मुबारकबाद देते हैं कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने कदम उठाया है और इतनी समझदारी से बजट पेश किया है और काम किया है कि हम पीछे न हट कर आगे ही बढ़ते गये हैं। इसलिए यह बजट जो है वह एक गुड बजट है। बजट इज गुड। इस बजट में वैसे तो बहुत सारी छोटी २ चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस समय केवल दो चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहती हूं, एक तो करप्शन पर और दूसरे फाइव इयर प्लान पर, जो बहुत ही जरूरी समझी जाती है। आमदनी के बारे में जो हमारे मिनिस्टर साहब ने हमें बतलाया, इस में कोई शक नहीं कि उस को सुन कर जरा फिक्र हुई कि आमदनी में कमी हो गयी है, लेकिन सफर के दौरान में अनुभव ठीक इस के विपरीत होता है, सफर में हर क्लास में क्या फर्स्ट, सेकेन्ड और इन्टर सब क्लासेज में इतनी भीड़ होती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि आमदनी में कमी कैसे बतलायी गयी है, मालूम नहीं यह आमदनी क्यों कम हो गयी है, मुमकिन है कि कोचेज़ की कमी और वैगन्स जितने होने चाहिएं उतने न मिलने के कारण यह कमी हो गयी हो और कभी २ तो मुझे सन्देह होने लगता है कि कहीं हम ने यह जो रेलवे की ग्रूपिंग करी है, इस के कारण तो कहीं आमदनी में कमी नहीं हो गयी है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मिनिस्टर साहब और उन के सलाहकार इस बात पर पूरी तरह से गौर

[श्रीमती उमा नेहरू]

करेंगे और गौर करने के बाद इस कमी को वह पूरी तरह से पूरा करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि किराया और आगे बढ़ाया नहीं गया है। मैं तो अगर हमारी आमदनी अच्छी होती तो मिनिस्टर साहब से आज यह कहती कि वह हमारे सब दरजों के मौजूदा किराये चाहे वह थर्ड क्लास के हों, इन्टर क्लास के हों, सेकेन्ड क्लास के हों या फर्स्ट के, सब के किराये कम होने चाहिएं।

मैं जब अपने प्रान्त में गई तो थर्ड क्लास में गई ताकि थर्ड क्लास की गाड़ियां जो नयी बनी हैं उन को देखूं कि वह कैसी बनी हैं, उन में खिड़कियां कैसी लगी हैं, शीशे कैसे लगे हैं, सिटकनियां कैसी लगी हैं, बार्स (Bars) कैसे लगे हैं। मैं आप को बतलाऊं कि यह सब चीज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई लेकिन संग ही एक चीज़ देख कर मुझे बहुत तकलीफ हुई और वह थी गन्दगी। थर्ड क्लास के पाखानों में मैं ने बहुत ज्यादा गन्दगी देखी, उन के अन्दर मैंने पानी भरा देखा, उन के अन्दर बेहद लोगों ने थूका हुआ है। इस के बारे में मुझे मिनिस्टर साहब से कहना है कि उन को चाहिये कि बड़े बड़े स्टेशनों पर जब गाड़ी रुके जबरन थर्ड क्लास की गाड़ियों की सफाई करायी जाय, सफाई इसलिए करायी जाय ताकि लोगों को भी शिक्षा मिले कि सफाई क्या चीज़ होती है और कितनी आवश्यक चीज़ है। और इस से लोगों की तन्दरुस्ती भी ठीक रहेगी। यह मेरे दो एक सजेशन्स हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि नई गाड़ियां जो बनी हैं उन के अन्दर इतनी कम गुंजायश रक्खी गयी है, इतनी कम जगह है कि अगर सामने से कोई असबाब या गट्ठर या बिछौना लेकर आता है तो दूसरी तरफ से आदमी निकल नहीं सकता है और सारा रास्ता ब्लाक हो जाता है और उस को खड़े रास्ता देखना पड़ता है कि जब वह निकल जाय, तब वह जाय, इसलिए मिनिस्टर साहब को इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि जब नई कोचेज़ बने तो वह इतनी तंग न होवें, जरा खुलासा होवें, दूसरी बात यह है कि नई कोचेज़ में जो पाखाने में कदमचे बने हैं वह इतने फासले पर हैं कि लोग कहते हैं कि उन को इस्तेमाल करने में दुश्वारी होती है, उस का भी ज़रा ख्याल करना बहुत जरूरी है।

जैसे थर्ड क्लास में गन्दगी है वैसे ही इस वक्त ऊंचे दर्जों की भी हालत है। कहीं शीशा नदारद है तो कहीं टूटा है, कहीं सीट फटी है। यह चीज़ें हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब यह चीज़ें देखी जावेंगी तो इन सब को दूर कर दिया जायगा। इन को हमें दूर करना है, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा यह विचार होता है कि जब कोई फर्स्ट क्लास का किराया देता है या सैकिंड क्लास का किराया देता है या इंटर का देता है या थर्ड का देता है तो हमारा फर्ज़ है कि हर तरह से हम उस मुसाफिर को सहूलियत दें। इस वास्ते इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी हो गया है।

मैं ने यह सुना है कि शायद ऐसा विचार हो रहा है कि इंटर को हटा दिया जाय। मुझे मिनिस्टर साहब से यह कहना है कि अगर थर्ड क्लास की सूरत इंटर बन जाती है तब तो कोई बात नहीं है अगर इंटर को हटा दिया जाय। लेकिन अगर थर्ड क्लास की सूरत इंटर क्लास जैसी नहीं बनती तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन को बड़ी मुश्किल हो जायगी इसलिये उस हालत में इंटर का निकालना ज़रूर ठीक नहीं होगा।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो नयी गाड़ियां स्विस कोचेज़ बनी हैं उन के बारे में मुझे बम्बई के लोगों ने और दूसरे लोगों ने भी तारीफ़ की और उन्हों ने कहा कि वह देखने में निहायत खूबसूरत और निहायत अच्छी हैं।

लेकिन उनके अन्दर गुंजाइश इतनी कम है कि उन के अन्दर जरा चलना फिरना असानी से नहीं होता है। भारत के लोगों को बड़ा बड़ा असबाब ले कर चलने की आदत है, तो वह असबाब भी ठीक तरह से नहीं रख सकते हैं। यह भी लोगों को शिकायत है कि लेटने की सीट व गद्दियां भी पतली पतली हैं। इन स्विस कोचेज़ की भी कमियों को देख कर इन सब बातों को भी दुरुस्त करना है। स्विस कोचेज़ का नक़शा जब मेरे सामने आता है तो अपनी पार्लियामेन्ट की सीट्स की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है। यह पार्लियामेन्ट की सीट्स जब माननीय गाडगिल साहब मिनिस्टर थे उस वक्त उन की हुकूमत में बनी थीं। यह जो सी सीट्स बनी हैं, जब मैं यहां बैठती हूं तो मैं सोचती रहती हूं कि लम्बी टांगों वाले जो बैठते हैं उन के लिये तो स्पेस भी नहीं है। अगर हम कोई चीज़ लिखना भी चाहें तो या तो घुटने पर रख कर लिखें या बाहर जायं। हमारे पास कोई तख्ता भी सामने नहीं कि जिस पर हम कुछ रख कर लिख सकें। लेकिन जिस वक्त हम ने एतराज़ किया तो हम से यह कह दिया गया कि हाउस आफ़ कामन्स की नक़ल मैं तो यही कहूंगी कि ऐसी दुखदाई तकलीफ़देह नक़ल जो हम ने हाउस आफ़ कामन्स की यहां की है तो कम से कम कोचेज़ में तो हम जरा इस को ठीक कर दें।

मुझे फिल्टर्ड पानी के बारे में भी कहना है और कैंटीन के बारे में भी कहना है। मेरा कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ़ से ऐसी साफ़ सुथरी कैंटीन्स होनी चाहियें ताकि लोगों को फ़ूड पाइजनिंग वगैरह न हो।

अब और ज्यादा न कह कर मुझे सिर्फ़ इतना कहना है कि मुझे अपने फाइव ईयर प्लान की फिक्र है। मैं समझती हूं कि यह जो फ़ाइव ईयर प्लान हमारे सामने है इस में रेलवे का बड़ा भारी हिस्सा होगा। इस फाइव इयर प्लान में जो हमारे इतने तमाम प्रोजैक्ट्स (Projects) हैं, इन तमाम प्रोजैक्ट्स के डैवलैपमेंट (Development) के लिये हमें माल लाना ले जाना होगा। तो ठीक अगर इस काम में और इस की स्कीमों को कामयाब करने में हमारे ट्रांसपोर्ट में रेलवे ने काम नहीं किया, ठीक प्लान नहीं किया, तो मुझे डर है कि हमारा जो फाइव ईयर प्लान है वह बिल्कुल कामयाब न हो सकेगा।

मैं जो बातें करप्शन के बारे में यहां सुनती रहती हूं तकलीफ़ होती है। जब से हम यहां आये तब से रात दिन हमारे कानों में करप्शन के बारे में सुनते सुनते नाकों में दम है। करप्शन के बारे में मुझे तो अपने मिनिस्टर से इतना ही कहना है कि जहां तक मेरी समझ में है मैं समझती हूं कि करप्शन कभी भी किसी कमेटी के जरिए नहीं जाती है, चाहे मिनिस्टरी की कमेटी बनाइये, चाहे कोई कमेटी बनाइये, चाहे पार्लियामेंट की कमेटी बनाइये, कमेटी से करप्शन नहीं जाती है। करप्शन जाती है सख्ती से। अगर आप को करप्शन को निकालना है तो आप सख्त बनिये और सख्त बन कर अगर गुनहगार बड़ा भी हो या छोटा भी हो तो मेरी एक सलाह अपने मिनिस्टर से यह होगी कि जो बड़ा है उस को पहले सख्त सजा दीजिये। मैं तो उन में से हूं कि जो यह कहूंगी कि भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मिनिस्टर भी करप्ट है तो उसे भी सजा दीजिये, उस को भी निकालिये। करप्शन सख्ती से जाती है। करप्शन उस समय जाती है जब मनुष्य में सैल्फ रेसपैक्ट होती है। जब तक मनुष्य में सैल्फ रेसपैक्ट और ईमानदारी नहीं आवेगी करप्शन नहीं जा सकती है। करप्शन सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है। ईमानदारी केवल पैसे की नहीं, बात की, चीत की, हर चीज़ की ईमानदारी जब तक मनुष्य में नहीं आती है तब तक करप्शन नहीं जाती है।

[श्रीमती उमा नेहरू]

अब मैं फिर मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देती हूं और मैं समझती हूं कि इस बजट में बड़ी उम्मीदें दिखाई देती हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे मिनिस्टर दो चीज़ों का विचार करेंगे, एक तो पहले करप्शन की ओर और फिर हमारी फाइव ईयर प्लान का।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम) : मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे रेल मंत्री ने गाड़ियों के दर्जे समाप्त कर देने का सुझाव क्यों रखा है। रूस में तो लोग नरम, मध्यम अथवा सख्त दर्जे से प्रवास कर सकते हैं। जब तक हम तीसरे दर्जे के यात्रिकों को कुछ न्यूनतम सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तब तक हम विभिन्न दर्जे समाप्त नहीं कर सकते हैं।

एक व्यापारिक उपक्रम के रूप में यदि रेलवे की तरफ देखा जाय तो उस का संचालन अत्यन्त असंतोषजनक प्रतीत होता है।

४ म० प०

लोक लेखा समिति ने दिखा दिया है कि रेलवे का वित्तीय प्रशासन अत्यन्त असंतोषजनक है। उक्त समिति ने धन के अपव्यय के अनेक उदाहरणों का उल्लेख किया है। कुछ रेल अधिकारियों ने श्लीएरेन नामक स्विस फर्म से संपूर्ण धातु के बने हुए हलके डिब्बों के बारे में १२ वर्ष का करार किया। लागत तथा मुनाफे के आधार पर यह करार हुआ। केवल तीन वर्ष में लागत का आंकड़ा दुगना हो गया। लोक लेखा समिति ने ऐसे अनेक किस्से बताये हैं जहां हमारा वित्तीय प्रशासन अत्यन्त शिथिल तथा लापरवाह रहा।

कुछ समय के पहले समाचार पत्रों में एक वृत्तान्त प्रकाशित हुआ था कि रेलों के पुनर्वर्गीकरण के कारण लगभग २५ करोड़ रुपए का अपव्यय हुआ। इस वृत्त का किसी ने खंडन नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस पुनर्वर्गीकरण से हमें लाभ हुआ है या हानि ?

रेलवे बोर्ड ने रेलों के वित्तीय तथा हिसाब रखने के तरीकों में बहुत परिवर्तन कर दिया है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्तीय पुनर्व्यवस्था की संभावना पैदा करने वाला कोई परिवर्तन कार्यान्वित करने के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श किया जाना चाहिये। इस मामले में यह नहीं किया गया। सदन को यह पूछने का अधिकार है कि परामर्श क्यों नहीं किया गया।

रेल मंत्रालय की भण्डार खरीदने की पद्धति की जांच करने के लिये श्री ए० डी० श्राफ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त हुई थी। उक्त समिति ने ऐसी परिस्थिति पर प्रकाश डाला है जो अत्यन्त उद्वेगकारी है। हमारे भण्डारों में अमूप सामग्री होते हुए भी उसी किस्म की नई सामग्री खरीदी जा रही है।

हमारा देश दरिद्री है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य राष्ट्रीय विकास के कामों पर खर्च करने के लिये पैसा नहीं है और रेलवे प्रशासन पानी की तरह पैसे का अपव्यय कर रहा है। दो वर्ष पहले इस परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किये जाने के बाद भी इस का कोई ठोस इलाज नहीं किया गया है।

रेल विभाग एक राष्ट्रीय उपक्रम होने के कारण उस के लिये आवश्यक सारा भण्डार, जहां तक हो सके वहां तक, इसी देश में निर्माण किया जाना चाहिये। किन्तु अधिकतर सामग्री बाहर से बुलाई जाती है क्योंकि किसी न किसी के हित सम्बन्ध उस में निहित होते हैं। परिणाम यह होता है कि इसी देश में जो सामग्री बन सकती है वह बनाने की

हमारी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । उदाहरणार्थ, सिग्नल का कांच हमारे देश में बन सकता है, फिर भी १० लाख रुपए का कांच बाहर से मंगवाया जाता है ।

श्री भागवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : माननीय रेल मंत्री ने जो आय-व्ययक पेश किया है उस से सर्वांगीण प्रगति का चित्र प्रगट होता है ।

इस वर्ष आयव्ययक में १४ करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है । किन्तु इस वर्ष यात्रिकों तथा मालवहन से होने वाली आमदनी में जो कमी हुई है वह स्वाभाविक ही है क्योंकि युद्धकाल में आमदनी कृत्रिम रूप से उठाई गयी थी । वर्तमान स्थिति ही सामान्य स्थिति होने के कारण यह कमी कोई असाधारण बात नहीं है । अभी तक व्यापारिक संस्थाएं यह शिकायत करती आयी हैं कि निर्यात वस्तुओं तथा अन्य कुछ प्रकार की वस्तुओं को यातायात की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं । इन शिकायतों की सावधानी पूर्वक जांच होनी चाहिये क्योंकि इस यातायात के फलस्वरूप रेलों की आमदनी बढ़ सकती है ।

यदि किराये कम करने का साहसपूर्ण कदम उठाया गया तो जनता उस का स्वागत करेगी इतना ही नहीं किन्तु वित्तीय दृष्टिकोण से भी वह कदम लाभदायक होने की संभावना है ।

हमें खुशी है कि इंजिन् डिब्बे, आदि का अधिकांश हमारे देश में निर्माण होने वाला है । मुझे आशा है कि चित्तरंजन कारखाने में अभी भी जो ३० प्रतिशत पुर्जे विदेशों से आयात किये जाते हैं वे भी कुछ समय के अन्दर हमारे देश में बनाये जा सकेंगे ।

मैं सन्थाल परगना का प्रतिनिधि हूं । वह अधिकतर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । उस की आबादी २३ लाख की है । यहां के लोगों के लिये परिवहन के उचित तथा पर्याप्त साधन तथा सुविधाएं नहीं हैं । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन बातों को ख्याल में रखते हुए इस विषय में कुछ करेंगे ।

रेल मंत्री ने तीसरे दर्जे के यात्रिकों के बारे में अपनी संवेदना प्रगट की है लेकिन अब देखना यह है कि श्रृंगार सामग्री, पहले से टिकट खरीदने का प्रबन्ध, डिब्बों की अनिवार्य सफाई, आदि के बारे में वे यात्रिकों को क्या सुविधायें दे सकते हैं ।

मैं ने माननीय रेल मंत्री तथा अन्य अधिकारियों का ध्यान पीरपैंती तथा मिरजाचौकी के छोटे स्टेशनों की आवश्यकताओं की ओर आकर्षित किया था । जब इस सदन के एक सदस्य द्वारा की गई छोटी शिकायतों की उपेक्षा की जाती है तब साधारण जनता द्वारा की जाने वाली हजारों शिकायतों का क्या होता होगा ?

मेरी राय में उपलब्ध स्थानों से अतिरिक्त टिकट बेचने वाला रेल मंत्रालय अथवा अधिकारी रेलों म होने वाली भीड़ के लिये जिम्मेवार है । इसलिए, मेरी राय में, रेल मंत्रालय पर काले बाज़ार का सीधा आरोप लगाया जा सकता है ।

उन आदती गुनाहगारों के बारे में क्या किया जा रहा है जिन से रेल के डिब्बों में हमारी मुलाकात होती है ? रेलवे अधिकारी जब कभी बिना टिकट के प्रवास करने वाले यात्रिकों को पकड़ते हैं, उन से कुछ पैसे लेकर अपने जेब में रख लेते हैं और आगे कुछ नहीं करते । हमें खुशी है कि माननीय मंत्री ने इन बातों की जांच करने के लिये एक आयोग स्थापित करने की घोषणा की है किन्तु उन्हें प्रथम चोटी पर प्रहार करना चाहिये और बाद में नीचे ।

अब मैं लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । उक्त समिति ने वित्तीय आयुक्त तथा रेलवे पर्षद् के एक सदस्य द्वारा एक स्विस फर्म के साथ जो सौदा

[श्री भागवत झा]

किया गया है उस की आलोचना की है। मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री इन दुष्टतापूर्ण तथा गैर जिम्मेवार करतूतों की सूक्ष्म जांच पड़ताल करेंगे।

मैं रेल मंत्री के सामने सुझाव रखता हूं कि ईश्वरदास बल्लभदास और केलर्न इन दोनों बड़े ठेकेदारों को हटा देना चाहिये और उन के स्थान पर स्टेशनों पर खाद्य पेयों का प्रबन्ध करने का काम छोटे ठेकेदारों को दिया जाना चाहिये। इस से खाने पीने की व्यवस्था में सुधार होगा। उपर्युक्त दो बड़े ठेकेदार यात्रिकों को खाने पीने की जो चीजें देते हैं उन से अतिसार तथा आंव को बुलावा मिलता है।

अन्दमान के ३३,००० निवासियों के लिये परिवहन का कोई प्रबन्ध नहीं है। जब कोई जहाज वहां पहुंचता है तब वहां के जीवन में कुछ गति उत्पन्न होती है; अन्यथा सारा व्यवहार मन्द हो जाता है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इस के बारे में गौर करेगी।

इन आक्षेपों के साथ मैं माननीय रेल मंत्री को उन के द्वारा प्रस्तुत किये गये आयव्ययक पर बधाई देता हूं।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्): माननीय रेल मंत्री ने जो वास्तवतापूर्ण चित्र खींचा है उस के लिये उन्हें बधाई देना उचित है। उन्हों ने पुनर्स्थापना तथा विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित करने की भरसक कोशिश भी की है।

रेल मंत्रालय ने मेरे राज्य में, अर्थात् त्रिवांकुर-कोचीन राज्य में, ऐरणाकुलम्-क्विलोन कड़ी जोड़कर हम पर जो उपकार किये हैं उन के लिये मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिये। यह कड़ी केवल मीटर-गेज की होने के कारण कुछ निराशा सी फैल गयी है किन्तु फिर भी जो कुछ किया जा रहा ह उस से सभी को संतोष है। रेल का जाल हमारे देश की दक्षिणतम सीमा तक, अर्थात् केप कामोरिन तक फैलाये जाने की आवश्यकता है।

यदि दक्षिण रेलवे के रेल पथों का औसत जोड़ा जाए, तो हर २७ वर्ग मील क्षेत्र के पीछे १ मील का रेल पथ पड़ता है। मेरे राज्य का क्षेत्रफल ९१४४ वर्ग मील है। इस से ज़ाहिर है कि वहां हर ९० वर्ग मील के पीछे केवल १ मील का रेल पथ है। यह स्पष्ट है कि मेरे राज्य में रेल सुविधाएं अत्यन्त अपर्याप्त हैं। और भी एक बात मैं रेल मंत्रालय को बताऊंगा। दक्षिण रेलवे क्षेत्र की आबादी का आठवां हिस्सा त्रिवांकुर-कोचीन में है। इस हिसाब से मेरे राज्य में लगभग ७०० मील के रेलपथ होने चाहियें।

त्रिचुर और कोल्लङ्गोड को जोड़ने की आवश्यकता की ओर भी मैं रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करूंगा। कोचीन पत्तन की संभावनाओं को देखते हुए पोल्लाची, डिंडिगल तथा मदुरा से कोचीन जाने के लिए सरल रेल पथों की आवश्यकता है। इसी प्रकार तेल्लीचेरी-मैसूर मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त मार्ग की सिपारिश करते समय मैं हसन-मंगलोर पथ का विरोध नहीं कर रहा हूं। इस पथ से मैसूर राज्य को पत्तन उपलब्ध हो जाता है और कुर्ग क्षेत्र को पहली बार रेल सुविधाएं मिलती हैं।

डा० कृष्ण स्वामी ने ठीक ही कहा है कि इस आयव्ययक से जिस वस्तुस्थिति पर प्रकाश पड़ता है वह भयप्रद है। मुझे सन्तोष है कि रेल मंत्रालय भी इस स्थिति के बारे में सतर्क है और रेल मंत्री ने राज्य परिषद् में यह आश्वासन दिया है कि आमदनी के गिराव की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जायेगी।

जन साधारण की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई है इस तथ्य को देखते हुए रेल के किराये १९५१ के पहले के स्तर तक कम करना परमावश्यक है ।

प्रस्तुत आयव्ययक का और एक विशेष पहलू यह है कि इंजिन तथा डिब्बों के बारे में हम स्वयंपूर्णता की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। रेल मंत्री को चाहिये कि इन के उत्पादन की लागत के आंकड़े बता कर लोगों के दिलों से यह आशंका हटा दें कि स्वयंपूर्णता प्राप्त करने के लिये हम अमर्याद खर्च कर रहे हैं।

हमें इस बात का संयुक्तिक गर्व है कि तीसरे दर्जे के यात्रिकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं ।

यदि मैं ने डिब्बों, स्टेशनों तथा स्टेशनों के प्रांगणों की अस्वास्थ्यजनक अस्वच्छता की ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं किया तो वह मेरी कर्त्तव्यच्युति होगी ।

स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने १९५२ में अपने भाषण में रेलवे अधिकारियों के चारित्र्य के स्तर की सराहना की थी । स्वर्गीय आत्मा का संपूर्ण आदर करते हुए भी, मुझे प्रतीत होता है कि उन्होंने किया हुआ परिस्थिति का मूल्यांकन अयथार्थ है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मुझे मालूम है कि चर्चा की इस अवस्था में हस्तक्षेप कर मैं कुछ माननीय सदस्यों का समय छीन रहा हूं । जब से रेलवे बजट की चर्चा आरम्भ हुई है तब से हमें कभी थपथपाया गया है और कभी लातें मारी गयी हैं । जनतंत्र में ये बातें होना अपरिहार्य है और मैं उन का स्वागत करता हूं ।

सौभाग्य से या दुर्भाग्यवश चर्चा का आरम्भ श्री फ्रैंक एन्थनी के धुंवाधार भाषण से हुआ । उन्हें सर्वत्र अंधकार प्रतीत हुआ और तज्जन्य निराशा से बचने के लिये प्रकाश का एक भी किरण नहीं दिखा ।

रेलों के बारे में श्री एन्थनी की रायें हमें गौर के साथ सुनना चाहियें । मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि मैं रेलों के बारे में उन की अपेक्षा बहुत कम जानता हूं ।

जिन्होंने श्री एन्थनी का कल का भाषण गौर के साथ नहीं सुना हो वे शायद यह समझ बैठे होंगे कि श्री एन्थनी का रेलों की व्यवस्था के बारे में कुछ मतभेद है । किन्तु मुझे सन्देह है कि भारतीय परिस्थिति में हुए सारे परिवर्तन के साथ उन का झगड़ा है । वे पुराने ढांचे के साथ संलग्न थे । अब स्थिति बदल गयी है । उन्हें नयी स्थिति के साथ मानसिक सामंजस्य स्थापित करना चाहिये । यह करना कष्टप्रद है । मुझे उन के साथ पूरी हमदर्दी है । किन्तु यह करना अब अनिवार्य है ।

अब मैं भावनाओं की बातें छोड़ कर तथ्यों का विचार करूंगा । श्री एन्थनी ने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का तिरस्कारपूर्ण उल्लेख किया । आखिर ये अधिकारी हैं कौन ? वे तो माननीय सदस्यों के ही भाईबन्द हैं । वे आस्मान से या विदेश से नहीं आये हैं । वे इसी देश के नौजवानों के प्रतिनिधि हैं जो नेतृत्व तथा अगुवापन कर सकते हैं । रेलों की प्रगति के लिये हम उन्हीं के गुणों से लाभ उठाना चाहते हैं । सदन को महसूस करना चाहिये कि उन्हें आलोचना के बजाय प्रोत्साहन देकर उन से अधिकतम परिश्रम की अपेक्षा की जानी चाहिये ।

श्री एन्थनी द्वारा उठाये गये विषय के बारे में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । उन्होंने बताया कि रेलों में बड़े अधिकारियो पर अधिक व्यय होता है । मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े रख गा दूं जिस से स्थिति पर प्रकाश पड़ेगा । सन् १९३८-३९ में प्रथम

[श्री अलगेशन]

तथा द्वितीय श्रेणी के गजट शुदा अफसरों की कुल संख्या १७८४ थी और सन् १९५१–५२ में वह २२६८ थी। सन् १९३८–३९ में कर्मचारियों की कुल संख्या ६४,१०,९९ थी और १९५१–५२ में वह ९,२५,३१९ थी। सन् १९३८–३९ में गजट-शुदा अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिओं के बीच १ : ३५८ का प्रमाण था। १९५१–५२ में वह १ : ४०७ का रहा। १९३८–३९ में रेल पथों की लम्बाई ३३,७३१ मील थी जो १९५१–५२ में ३३,३४७ मील रही। १९३८–३९ में १,००० मीलों के पीछ ५३ अधिकारी थे और १९५१–५२ में ६७। अतः अधिकारियों में २२ प्रतिशत वृद्धि हुई। १९३८–३९ में १,००० मीलों के पीछे कुल १९,००० कर्मचारी थे और १९५१–५२ में २७,०००। अतः कुल कर्मचारियों में ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

श्री एन्थनी ने दिल्ली तथा फिरोज़पुर विभागों से पूर्वीय विभाग में माल डिब्बे खाली भेजे जाने के विरुद्ध शिकायत की है। लेकिन जब उन कोयला-क्षेत्रों में भेजने का कोई माल नहीं होता और वहां से कोयला लाना होता है तब खाली डिब्बे भेजने के सिवाय और किया भी क्या जा सकता? नवम्बर १९५२ से जनवरी १९५३ तक इन दो विभागों से प्रतिदिन औसत ५०० खाली डिब्बे भेजे गये जब कि गत वर्ष की इसी अवधि में ४९५ डिब्बे भेजे गये थे। इस से स्पष्ट है कि पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इन दो तत्स्थानीय अवधियों में उक्त दोनों विभागों में चढ़ाये गये माल की राशियों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि ऐसी स्थिति में उन की क्या शिकायत है। उन्होंने जो आंकड़े बताये हैं वे वास्तविक नहीं, काल्पनिक हैं।

श्री एन्थनी ने दक्षिण रेलवे के लोगों पर अपना गुस्सा उतारा और उन पर अनेक आरोप लगाये। जब मैं कुछ दिन पहले मद्रास गया था तब मुझे श्री एन्थनी द्वारा दक्षिण रेलवे को भेजे गये पत्रों का ढेर बताया गया। श्री एन्थनी दक्षिण रेलवे पर पत्रों की वर्षा करते हैं और उन की अधिकतर शिकायतें व्यक्तिगत रूप की होती हैं। इस प्रकार यदि प्रत्येक माननीय सदस्य पत्रों की वर्षा आरम्भ कर दें तो मेरी राय है कि रेल विभाग बन्द कर देना पड़ेगा।

उस के बाद उन्हों ने दक्षिण रेलवे की कुछ बातों का निर्देश किया। उन्हों ने प्री-ऑडिट की कठिनाइयों का उल्लेख किया। यह कोई नई बात नहीं है। अन्य रेलों पर यह होता ही था और अब यह दक्षिण रेलवे पर भी जारी कर दिया गया है। आरम्भ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु अब कोई शिकायत नहीं है। इस के विरुद्ध मेरे माननीय मित्र को कोई साधारण शिकायत—व्यक्तिगत नहीं—करनी हो तो उस के बारे में जांच करने के लिये मैं सदैव तैयार हूं।

श्री एन्थनी ने तबादलों का भी उल्लेख किया। मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि उन के द्वारा जितनी शिकायतें भेजी गयी हैं उन की जांच की जाएगी और जहां उचित हो वहां पर्याप्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री एन्थनी ने और एक आरोप लगाया कि बजट के भाषण में मानवी अंश नहीं था। मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि श्री एन्थनी को कर्मचारियों के बारे में जो सहानुभूति है वह हम सब से अधिक है। कर्मचारियों के मकानों का वर्णन करते समय वे ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो सुनने पर लोगों की आंखों से अश्रु बहने लगें। उन्हों ने बताया कि हम कर्मचारियों की

अपेक्षा अधिकारियों के घरों पर अधिक पैसा खर्च करते हैं। किन्तु बजट देखने से पता चलेगा कि अधिकारियों के भवनों पर केवल २०.३ लाख रुपए खर्च किये जाने वाले हैं और अन्य कर्मचारियों के घरों पर कुल ३८०लाख रुपए खर्च करने का विचार है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री नम्बियार ने अपने भाषण में बताया कि केवल १५ प्रतिशत कर्मचारियों के लिये ही गृहों की व्यवस्था की गई है। किन्तु तीसरी श्रेणी के १.२५ लाख में से ७०,००० कर्मचारियों के लिये गृहों की व्यवस्था की गई है। चौथी श्रेणी के ३ लाख में से १.८ लाख कर्मचारियों के लिये गृहों की व्यवस्था की गई है। अतः १५ प्रतिशत के अलावा ६० प्रतिशत कर्मचारियों के लिये गृहों की व्यवस्था की गई है।

श्री नम्बियार ने श्रमिक संघों में राजनीति घुसेड़ी जाने की बात कही। मैं इसी क्षण इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि वास्तव में कर्मचारी वर्ग श्री नम्बियार की राजनीति से ऊब गया है। खास उन के नगर के कर्मचारी भी अपना अलग संगठन बना रहे हैं क्योंकि उन्हों ने देख लिया है कि श्रमिक संघ के आवरण में किस धृष्टता के साथ पक्षहितों को बढ़ाया जाता है।

५ म० प०

अनेक लोगों ने चुनाव के समय जो आवरण ले रखा था वह अब जीर्ण हो गया है और उन का वास्तविक रूप अब लोगों के सामने प्रगट हो रहा है। जहां इन मित्रों का वर्चस्व अधिक प्रतीत हुआ था वहीं सब से बड़ी दरारें पड़ रही हैं।

जो सरकार श्रमिकों का हित नहीं चाहती, वह अनेक श्रमिक संघों का स्वागत करेगी; किन्तु यह सरकार श्रमिकों का कल्याण चाहती है; अतः माननीय रेल मंत्री ने विभिन्न श्रमिक संघों के बीच राजनैतिक समझौते की अपील की है। इस अपील का प्रभाव भी पड़ा है, जैसा कि कल ही हमें मालूम हुआ है। कल सदन में मेरे मित्र श्री खंडु भाई देसाई ने बताया कि श्रमिकों के दो बड़े संघ इस दिशा में विचार कर रहे हैं। यह आशादायक चिह्न है और यदि सफल हुआ तो उस के पश्चात् रेलवे श्रमिकों के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ होगा। अर्थात् इस के फलस्वरूप श्रमिकों को गलत रास्ते से ले जाने के और श्रमिक संघों के द्वारा पक्षहित बढ़ाने के मौके कम हो जाएंगे। किन्तु इस हानि को रोकने में हम असमर्थ हैं।

मेरे मित्र श्री नम्बियार जिस संघ का समर्थन करते हैं उसी संघ ने कहा है कि सदर्न रेलवे लेबर यूनियन और एम० एस० एम० रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बीच समझौता होना अत्यन्त उपयुक्त साबित होगा। माननीय रेल मंत्री ने भी यही बात कही थी। किन्तु इसी बात पर श्री नम्बियार क्रुद्ध हो गये और उन्हों ने माननीय रेल मंत्री पर राजनैतिक चालबाजी का आरोप लगाया।

श्री नम्बियार ने यह भी कहा कि काम का बोझ बढ़ गया है। माननीय मंत्री द्वारा अन्य सदन में इस आरोप का खंडन किया गया है। सन् १९३८—३९ में अविभक्त भारत में प्रथम श्रेणी की लाइनों पर रेल गाड़ियां १७१० लाख मील चलीं। उस समय कर्मचारियों की संख्या केवल ६.४ लाख थी। सन् १९५१—५२ में रेल गाड़ियां १६७० लाख मील चलीं और ९.२५ लाख कर्मचारियों ने उन्हें चलाया। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ने वाला काम का बोझ ७० प्रतिशत तक कम हो गया है। इस के विपरीत मैं श्रमिकों की बढ़ी हुई आम-

[श्री अलगेशन]

दनी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय वेतन आयोग के सिपारिशों के फलस्वरूप वेतन ३८.३९ करोड़ रुपए से बढ़ गया है। संयुक्त परामर्श समिति की सिपारिशों के फलस्वरूप वेतन २ करोड़ रुपए से बढ़ गया है। छुट्टी के नियमों में रियायतें दी जाने के कारण ४ करोड़ रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। प्रोविडेंट फंड के लिये १॥ करोड़ रुपए। अनाज के दुकानों पर १०.६ करोड़ रुपए। और मध्यस्थ के निर्णय को कार्यान्वित करने में ८ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। रेल कर्मचारियों को सब मिला कर ६४ करोड़ रुपए पहले से अधिक मिलते हैं।

श्री नम्बियार ने स्टेशन मास्टरों के मामले की भी चर्चा की और बताया कि उन का वेतन उन के अधिकार में काम करने वाले गार्ड आदि के बराबर रखा जाना चाहिये। संयुक्त परामर्श समिति ने इस प्रश्न की सूक्ष्म जांच की थी और यह राय प्रगट की थी कि प्रस्तुत स्थिति में कोई विसंगति नहीं है। इसी प्रकार मैट्रिक तथा नान-मैट्रिक कर्मचारियों के बीच कोई विपरीत विभेद नहीं किया जाता।

मेरे माननीय मित्र श्री श्रीकान्तन नायर ने बताया कि दक्षिण के लिये कुछ नहीं किया गया है। यह आश्चर्यजनक बात है कि त्रिवांकुर-कोचीन का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य यह आरोप लगायें। कुछ ही महीनों के पहले एर्नाकुलम-क्विलोन लाइन का काम माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आरम्भ किया गया है।

उन्हों ने यह भी कहा कि उक्त लाइन ब्रॉड़ गेज के बजाय मीटर गेज में बनाना गलत है। इस प्रश्न पर खूब बारीकी के साथ विचार किया गया था और उस के सारे पहलुओं की सूक्ष्म परीक्षा की गई थी। दोनों सदनों के सदस्यों से भी परामर्श किया गया था। उक्त सभा में जिस सदस्य ने मीटर गेज की लाइन बनाने का बलपूर्वक तथा युक्तियुक्त समर्थन किया वह कांग्रेसी नहीं किन्तु अन्य पक्ष के प्रतिनिधि थे। कोचीन के पत्तनाधिकारियों ने भी यही राय दी कि ब्रॉड गेज के अलावा मीटर गेज की लाइन अधिक लाभदायक होगी।

यात्रिकों को सुविधाएं देने के विषय में भी अनेक बातें कही गईं। सन् १९४९–५० के बाद यात्रिक सुविधाओं पर अधिकाधिक राशि खर्च की जा रही है। १९४९–५० में इस पर १.९७ करोड़ रुपए खर्च किये गये, १९५०–५१ में २.७३ करोड़ रुपए, १९५१-५२ में २.४५ करोड़ रुपए और १९५२–५३ के संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार २.९९ करोड़ रुपए खर्च किये गये। इस का कुल जोड़ १०.१४ करोड़ रुपए होता है। यह राशि नगण्य नहीं है।

मेरे मित्र पंडित लिंगराज मिश्र ने विभिन्न सुझाव दिये हैं। विशेषतः उन्हों ने रेल विभाग द्वारा पाठशालाएं चलाये जाने पर अधिक बल दिया है यद्यपि वह राज्याधीन विषय है। रेल विभाग ऐसी पाठशालाएं चलाने की भरसक कोशिश कर रहा है किन्तु मेरे मित्र चाहते हैं कि प्रशिल्पिक शिक्षा देने का प्रबन्ध भी कर दिया जाय। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि इस प्रश्न की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। उन के द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्नों पर भी हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे क्योंकि आसाम जैसे कुछ पिछड़ हुए राज्य को हम अधिक सहूलियतें देना चाहते हैं।

मेरे मित्र श्री दामोदरन ने दक्षिण में कोयला तथा लोहा ले जाने के लिये माल के डिब्बों की जो कमी महसूस होती है उस के विषय में शिकायत की। मैं उन्हें बता सकता हूं कि अधिक डिब्बे उपलब्ध कर दिये गये हैं और अब परिस्थिति में सुधार हुआ है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा भाषण शान्ति के साथ सुनने पर मैं आप का तथा सदन का अभारी हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं कुछ जानकारी चाहता हूं। मुझे खुशी होगी यदि माननीय उपमंत्री मेरे द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का ठोस उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : सरकार की ओर से अंतिम उत्तर अभी नहीं दिया गया है। अभी ये प्रश्न उठाने का समय नहीं है। हो सकता है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में इन का उत्तर दे दें।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : हम देखते हैं कि हमारे माननीय रेल मंत्री का आशावाद बढ़ ही रहा है। लेकिन वस्तुस्थिति को देखते हुए, मैं समझता हूं कि उनका आशावाद निराधार है।

विजयवाड़ा स्टेशन के प्रांगण में पिटारों तथा वस्तुओं की इस कदर अधिकता तथा अव्यवस्था है जैसी कि पागल आदमी के दिमाग़ में विचारों की होती है। उक्त स्टेशन के लिये एन० एस० रेलवे की दिशा में दो प्रांगण बनाने की आवश्यकता है। मैं अति आग्रह पूर्वक सुझाव रखता हूं कि वहां का पार्सल-कार्यालय स्टेशन के बाहर हटाया जाय जिससे कि स्टेशन के अन्दर का वस्तुओं का संचय कम हो जाएगा।

मैं अल्लूरु तथा चीराला के बीच की यात्रिकों की भीड़ कम करने के लिये डिज़ल मोटरों से काम लेने का सुझाव रखना चाहता हूं। बेझवाड़ा से मद्रास, बेझवाड़ा से बम्बई तथा बेझवाड़ा से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों में दीर्घ अन्तर के यात्रिकों के लिये अलग डिब्बे रखे जाने चाहिये। विजयवाड़ा, अर्थात् बेझवाड़ा स्टेशन की वार्षिक आय २ करोड़ की है। अतः उस की श्रेणी बदल कर उसे मद्रास सैंट्रल की श्रेणी में रखा जाना चाहिये। बेझवाड़ा के स्टेशन मास्टर को ३०० से ४०० रुपए वेतन मिलता है जब कि एगमोर के उतना ही काम करने वाले स्टेशन मास्टर को ५६० रुपए मिलते हैं। मेरी राय में, बेझवाड़ा स्टेशन को कनिष्ठ श्रेणी में रखने के कारण ही यह विरोध पैदा होता है।

इस के बाद मैं रेलों को चालू रखने का प्रत्यक्ष काम करने वाले कर्मचारीवृन्द के बारे में कुछ बातें कहूंगा। ओफ, मानव ने ही मानव को कितना हीन बना दिया है? इस समय बेझवाड़ा स्टेशन में बहुत कम कर्मचारी हैं। उन्हें हफ्ते के अन्त में मिलने वाली छुट्टी भी नहीं दी जाती। उन की छुट्टियां जमा नहीं होतीं। यह सचमुच अमानुष है। इस परमावश्यक सेवा में काम करने वाले लोगों के रहने के लिये घर तक नहीं हैं।

ओंगोल से माचेरला द्वारा हैदराबाद तक तथा ओंगोल से कुड़ाप्पा एवं मदनपल्ली द्वारा बंगलोर तक रेल पथ बनाये जाने चाहियें। नेल्लोर में तीसरे दर्जे के यात्रिकों के लिये प्रतीक्षालय आवश्यक है। बेझवाड़े में कृष्णा नदी के उपर रेल तथा सड़क का सेतु आवश्यक है। स्वतन्त्र आंध्र देश के निर्माण की दृष्टि से यह सेतु अत्यन्त आवश्यक है। मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री इसे केवल योजना तथा विचार के स्तर पर न रख कर, इस काम को पूरा कर छोड़ेंगे।

कुछ विशिष्ट साहित्य को एकांगी बता कर रेलवे स्टेशनों में होने वाली किताबों को दुकानों से हटाया गया है। मैं एकांगी साहित्य का लक्षण जानना चाहता हूं।

मुझे आशा है कि जब रियायतों के प्रश्न का विचार किया जाएगा तब कलाकारों को भी रियायतें दी जायगी। युद्ध के पहले तथा युद्धकाल में भी ये रियायतें दी जाती थीं। हमारी हस्तकला की वस्तुओं, हाथ करघे की वस्तुओं तथा हमारी संस्कृति से सम्बन्धित

[श्री चट्टोपाध्याय]

अन्य चीजों का प्रचार करने के लिये एक प्रदर्शनी की गाड़ी घुमाने का सुझाव मैं देन चाहता हूं। इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों में देशी वस्तुओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिये एक स्थायी प्रदर्शनी की गाड़ी बनाने की योजना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं और एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी राय में, मनमानी सफर करने के लिये जारी किये जाने वाले रियायती टिकटों की संकल्पित मियाद बढ़ाई जानी चाहिये इस रियायत को दूसरे दर्जे में भी लागू किया जाना चाहिये।

श्री ज० आर० मेहता: (जोधपुर): माननीय रेल मंत्री ने बताया कि वे अगले वर्ष यात्रिक तथा माल की यातायात से होने वाली आमदनी घटने की अपेक्षा रखते हैं। माल की यातायात में १ करोड़ रुपए की तथा यात्रिकों की यातायात में १० करोड़ रुपए की कमी होने की संभावना उन्हों ने प्रगट की है। बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि रेलों की आमदनी देश की समृद्धि का अच्छा माप है। यदि यह सच है तो फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के सर्वांगीण विकास का जो सुन्दर चित्र खींचा गया था वह—या कम से कम उस में का आर्थिक अंश—पूर्णतया यथार्थ नहीं है।

मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि माल-वहन की आमदनी में जो कमी हुई है वह विशेष गंभीर नहीं है और कोई अन्तिम निर्णय लेने के पहले हमें और कुछ देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। किन्तु, यात्रिकों से होने वाली आमदनी में जो कमी हुई है वह अधिक गम्भीर है। मुझे विश्वास है कि सदन भी इस बात को स्वीकार करेगा। इस आमदनी में १० करोड़ से अधिक रुपये की कमी हो गई है। इस कमी के लिये किराए की दरों की वृद्धि कहां तक जिम्मेवार है और कहां तक आर्थिक मंदी जिम्मेवार है इस प्रश्न का उत्तर देना प्रथम आवश्यक है। मुझे भय है कि माननीय रेल मंत्री के भाषण में तथा हमें दिये गये साहित्य में इस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

रेल गाड़ी गरीबों का वाहन है। उस के किराये बढ़ाने से जनसाधारण को निश्चित ही चोट पहुंचती है। यात्रिकों के किराये बढ़ाने के किसी सुझाव का इस सदन में स्वागत नहीं होता है। पिछली बार यह बताया गया था कि परिवहन की लागत तथा मूल्यों का स्तर बहुत बढ़ जाने के कारण यात्रिकों के किराये थोड़े बढ़ाये जाने पर हमें आपत्ति नहीं उठानी चाहिये। किन्तु अब तो परिवहन की लागत तथा मूल्यों का स्तर गिर गया है। इसलिये अब किराये कम करने का प्रश्न खड़ा होता है। हमें पंचवर्षीय योजना में पैसा खर्च करने के हेतु कुछ कष्ट उठाने की तैयारी रखनी चाहिये। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या किराये कम किये जाने के फलस्वरूप रेलों की आमदनी बढ़ने की संभावना नहीं है?

आमदनी कम होने का एक कारण रेल तथा सड़क यातायात के बीच की स्पर्धा है। रेल से समांतर चलने वाली सड़कों पर आवा-गमन करने वाली बसें बन्द कर देने से रेलों की आमदनी में वृद्धि होगी और अंतर्गत क्षेत्रों में बस परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इस प्रकार रेल तथा सड़क यातायात परस्पर पूरक बन जाएगी और समाज की अधिकतम सेवा कर सकेगी।

रेल मंत्री के भाषण से विदित होता है कि घूसखोरी की समस्या की जांच कर उस विषय में सदन को प्रतिवेदन पेश करने के हेतु एक समिति स्थापित करने का उन का इरादा है। इस क्षेत्र में समितियों आदि से कोई काम

नहीं बनेगा । जोधपुर के दो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों ने जिस तरीके से काम लिया वह इस प्रकार था : उन्होंने घूसखोरी के बारे में जिन गजट शुदा अफसरों का दुर्लोकिक सर्वदूर फैला हुआ था उन्हें दो महीनों के अन्दर अन्दर अपने पदों से तुरन्त हटा दिया । मुझे विश्वास है कि इस कार्यवाही के दूसरे दिन ही हजारों अधिकारियों ने हाथ में गंगाजल ले कर कभी घूस न लेने की शपथ ग्रहण की होगी । यदि माननीय मंत्री घूसखोरी बन्द करने के विषय में सचमुच उत्सुक हैं तो उन्हें तीन या चार स्वतन्त्र, अनुभवी तथा विवेकशील अधिकारियों की समिति नियुक्त करनी चाहिये और उसे घूसखोरी के बारे में दुर्लोकिक प्राप्त अधिकारियों को तुरन्त पद से हटाने के अधिकार प्रदान कर देने चाहिये । यदि यह किया गया तो मैं आप को आश्वासन दे सकता हूं कि अगले बजट-सत्र तक घूसखोरी का यह राक्षस अर्धमृत हो जाएगा ।

श्री एम० खुदा बख्श : (मुर्शिदाबाद) : रेलवे बजट से जिस परिस्थिति का परिचय होता है वह विशेष संतोषजनक नहीं है । रेलों की आमदनी कम हो रही है और यह नहीं बताया जा सकता कि वह कब स्थिर होगी ।

पंच वर्षीय योजना के कारण होने वाली माल की यातायात के फलस्वरूप जो आमदनी बढ़ेगी वह तो केवल काग़ज़ी वृद्धि होगी । पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद कुछ समय तक परिवहन के क्षेत्र में मंदी आने की संभावना स्पष्ट है और उस काल के लिये हमें अभी से प्रबन्ध कर रखना चाहिये ।

मैं स्टेशनों में मिलने वाली खाने पीने की चीजों के बारे में जो आलोचनाएं की गई हैं उन का समर्थन करना चाहता हूं ।

प्रथम दर्जे के डब्बे बन्द करने के प्रस्ताव के बारे में मैं अदब के साथ एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रथम दर्जे के बजाय दूसरे दर्जे के डिब्बे बन्द किये जायं और प्रथम दर्जे का किराया दूसरे दर्जे तक कम कर दिया जाय । इस का मानसिक प्रभाव अधिक हितकर होगा । आमदनी बढ़ाने के लिये वापसी टिकट तथा अन्य रियायतें दी जानी चाहियें । मैं रेलों में पारिवारिक डिब्बों का प्रबन्ध करने का सुझाव देना चाहता हूं । इन की रचना कुछ अलग ढंग से करनी होगी । इस डिब्बे का टिकट एक परिवार के नाम से दिया जाएगा । फिर उस में उस परिवार के चाहे जितने लोग तथा उन के नौकर बैठ सकेंगे । मुझे विश्वास है और मैं इस की तफ़सील भी दे सकता हूं कि ये डिब्बे आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होंगे ।

मेरी राय में, माल के डिब्बों के निर्माण का कार्यक्रम योजनानुसार जारी रखने के लिये इस्पात की चादरों का आयात भी करना पड़े तो उस में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिये ।

६ म० प०

स्विस फर्म के साथ डिब्बों के बारे में जो समझौता हुआ है उस की जांच की जानी चाहिये और जितने डिब्बे बनाये जा रहे हैं उतने खरीद कर बाकी का समझौता रद्द कर दिया जाना चाहिये । मुझे समझ नहीं कि जब हम यहां डिब्बे बना सकते हैं तो स्विटज़रलैंड से डिब्बे आयात करने की आवश्यकता ही क्या है ?

रेल कर्मचारियों पर घूसखोरी के आरोप बारंबार लगाये जाते हैं; परन्तु कई बार उन्हें अपने कर्त्तव्य के पालन में जनता से पर्याप्त सहकार्य नहीं मिलता । यह भी एक विचारणीय प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री के सुरस तथा सुबोध भाषण पर उन्हें बधाई देता हूं ।

श्री एम० एन० सिंह : (सारन मध्य) : आपने आज मुझे जो बोलने का मौका दिया है इस के लिए मैं आप का बहुत आभारी हूं ।

सब से पहले मैं स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं

[श्री एम० एन० सिंह]

जिन्हों ने अपनी दृढ़नीति और दृढ़ शासन से रेलवे को एक ऐसा ढांचा दिया है जिसमें कि रेल का राष्ट्रीयकरण हो जाय। उन्हों ने रेलवे में जो ज़ोनल सिस्टम जारी किया वह अभी ऐक्सपैरीमेंटल स्टेज में है। उस में अगर कोई कमजोरी इस वक्त दिखलायी देती है तो वह इसलिये दिखलाई देती है कि वह अभी ऐक्सपैरीमेंटल स्टेज में है और यह ऐक्सपैरीमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है।

रेलवे का जो बजट हाऊस के सामने रखा गया है उस को देखने के बाद मैं रेलवे मंत्री को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। यह रेलवे का जो बजट हमारे सामने है उस से हम को पूरी आशा हो रही है कि हमारी दशा में काफी सुधार हो जायगा। अभी जो कुछ कमी हमारी रेलवे में बतलायी जा रही है मेरा ख्याल है कि यह कमी इसलिये मालूम देती है कि हम इस की तरफ नहीं देखते कि हम कहां थे, हम किस दशा में थे, हमारी रेलें कैसी थीं और आज हम कहां हैं। अभी कुछ दिन हुए जब श्री बेवन ने कहा था कि पार्लियामेंट के मेम्बरों ने जो कुछ किया है उस के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जायगा, न उस के लिये उन को धन्यवाद मिलेगा बल्कि जो कुछ उन लोगों ने नहीं किया है उस के लिए उन की आलोचना होगी और उस के लिये उन को खरा खोटा सुनना होगा। ठीक वही चीज रेलवे बजट के बारे में हो रही है। रेलें तो हमारे देश में आज से सौ वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने चलायी थी। इस में उन के तीन उद्देश्य थे। एक तो मिलिटरी परपज था, दूसरा उद्देश्य यह था कि उन के देश का बना माल हिन्दुस्तान के कोने कोने में पहुंच जाय और उनका तीसरा उद्देश्य यह था कि उन का खज़ाना भरे। इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उन्हों ने कर्मचारी रखे थे और जो नीति रखी थी उस नीति को पूरे सौ बरस तक बरता गया और सौ वर्ष तक रेलों ने उन के इन तीनों उद्देश्यों को पूरा किया। आज से चार साल पहले हम को रेलें मिलीं। उस समय हमारी हालत क्या थी। जिस समय अंग्रेज यह समझ गये कि अब उन को यहां से जाना है तो उन्हों ने उस घोंसले को जो उन्हों ने अपने आराम के लिए बनाया था, अपने लाभ के लिए बनाया था उस को उजाड़ना शुरू किया। ठीक उन की मदद के लिये उस वक्त लड़ाई शुरू हो गयी। हमारे यहां से रेल की पटरियां उखाड़ कर विदेश भेज दी गयीं। हमारे यहां से पैसिंजर गाड़ियों के डिब्बे और माल गाड़ियों के डिब्बे हटाये गये और जो यहां से गये वह फिर यहां आये नहीं। इधर उन का दिवालियापन ऐसा हो गया था कि जितनी गाड़ियां या जितनी और चीजें पुरानी होने के कारण काम करने लायक नहीं रह गयी थीं उन को हटा कर उन की जगह पर दूसरी गाड़ियों या दूसरी चीजों को रिप्लेस करने के साधन उन के पास नहीं रहे थे। और इस लिए यह काम रह गया। उसी बीच हमारे देश का बटवारा हुआ और उस बटवारे से हमारा अंग विच्छेद हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि सन् १९४९ में हम को पूर्ण रूपेण रेलें मिलीं और जब से यह महकमा हमारे पास आया उस समय हमारे पास ऐसे इंजिनों, पैसिंजर गाड़ी के डिब्बों और मालगाड़ी के डिब्बों की जो कि काम करने के लायक नहीं थे काफी संख्या थी। १९५२ के व्हाइट पेपर को हम देखें तो हम को मालूम होगा कि हमारे पास उस समय काम न करने लायक इंजनों की संख्या १६४० थी कोचिंग स्टाक ५१२० और वैगन्स २५ हजार थीं। इस के अलावा सालाना दो सौ इंजन, १६०० कोचिंग स्टाक और ५५०० वैगन्स रिप्लेस करनी चाहिये थीं इस के अलावा सिगनैलिंग वगैरह की समस्यायें थीं। हमारे पास इन चीजों को रिप्लेस करने के न साधन

थे और न धन था। ऐसी दशा में रेलें हमारे हाथ में आयीं। उस समय हमारे पास जो रेल का ऐडमिनिस्ट्रेशन था उस की दशा क्या हो रही थी? चौबीस घंटे में बमुश्किल एक बार रेल मिलती थी। जैसे कि अभी चट्टोपाध्याय साहब ने कहा, रेलें २४ घंटे तक लेट हो जाती थीं। पर इन्हीं चार वर्षों के बीच में बिना किसी बाहर की सहायता प्राप्त किये अपने बल पर हमारी गाड़ियों की संख्या बढ़ायी गयी, डिब्बे बढ़ाये गये और इंजन बढ़ाये गये अब रेल गाड़ियां ठीक समय से चलने लगीं और इस देश की बढ़ती हुई मांग में हमारी एफ़ीशियंसी भी बढ़ने लगी। इन हालात को अगर हम एबसोल्यूट शेम्बल्स और कओटिक कहें तो हमें आश्चर्य होता है। आर्थिक दशा में भी इतना सुधार हुआ है कि आज हमारे मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में यह बतलाया है कि अब तक जो आर्डर दे चुके वह दे चुके, इन के अतिरिक्त अब कोई माल बाहर से नहीं मंगाना है बल्कि घर की बनी हुई चीज़ों से काम लेंगे और अब हम सैल्फ सपोर्टिंग हो रहे हैं। क्या यह चीजें हम सब के लिये तारीफ की चीजें नहीं हैं? अगर हम अपनी पुरानी दशा से आज की दशा का मिलान करते हैं और विचार करते हैं तो मालूम होता है कि हम कहां थे और अब कितना आगे बढ़ गये हैं। इस में कोई शक नहीं कि बहुत सी चीजें हैं जिन को अभी बहुत कुछ करना है और जितना हम ने नहीं किया है उस को अगर हम सोचें तो हमें काफी बेचैनी होती है। परन्तु हमें यह भी सोचना चाहिये कि जब हमें अपने उजड़े हुए घर पर भरोसा करना है, जब हमें अपने ही रिसोर्सेज पर भरोसा करना है तो हमें सबर से काम करना होगा। धीरे धीरे हमारी तरक्की होगी और ठोस तरक्की होगी।

हम अपनी इस रेल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरक्की के लिये यदि आंकड़ों पर विचार करें तो आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि केवल रेल के डिब्बों में ही हमारी तरक्की नहीं हुई है बल्कि रेल के प्रसार में भी काफी तरक्की हुई है। जिस समय भारत का बटवारा हुआ उस समय के प्रसार को लें तो रेल का ४० हजार सब से ज्यादा माइलेज था और जब हमारे यहां बटवरा हो गया तो उस के बाद सन् १९४९ में हमारे पास रेल की माइलेज २६२०९ थी। आज ३४११९ मील है तो इतनी रेल के प्रसार में वृद्धि हुई है। आमदनी की तरफ भी हम ध्यान देते हैं तो आमदनी भी १९६.२३ करोड़ से बढ़कर २६१.८५ करोड़ पर बढ़ी है। इसी तरह से हमारा खर्च भी बढ़ा है। लेकिन एफिशियैंसी आमदनी और खर्चे के बढ़ने पर न हो कर एफीशियैंसी हमें तब मालूम होती है जब हम देखते हैं कि आपरेटिंग रेशयो बढ़ा है या घटा है। इन आंकड़ों को हम देखते हैं तो मालूम होता है कि आपरेटिंग रेशयो जहां ९१.४० था वहां आज वह घट कर ७७.३६ हुआ है। इस से मालूम होता है कि हमने काफी तरक्की की है।

अब रेल के कर्मचारियों के सुख सुविधा की बातों का हम ख्याल करें तो इस में भी हम आप को कहेंगे कि तीन तरह से हम इस पर विचार कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह से विचार कर सकते हैं कि रेल के कर्मचारियों की हालत का पीछे की हालत से मिलान करें। दूसरे इस तरह से मिलान कर सकते हैं कि रेल में काम करने वाले लोगों की हालत में दूसरी जगह काम करने वालों की हालत से कितना अन्तर है। तीसरा तरीका यह है कि रेल में जो काम करते हैं उन की हालत क्या है और आज हमारे देश में जो ऐवरेज हालत के उसी स्थिति के लोग हैं उन की दशा कैसी है। मैं कहूंगा कि जिस समय कम्पनी के समय में रेल के कर्मचारी काम करते थे उस समय से काफी सुधार हुआ है। क्या आप कहेंगे कि उन की दशा में सुधार नहीं हुआ है? उन की सिक्योरिटी आफ़

[श्री एम० एन० सिंह]

सर्विस, वर्किंग अवर्स, लीव, प्रमोशन्स, पे, क्या उसी तरह से हैं जिस तरह के कम्पनी के टाइम में थे? क्या इन में सुधार नहीं हुआ है? इन सभी चीज़ों की तरफ़ अगर आप ध्यान देंगे तो यह मालूम होगा कि हम ने काफी तरक्की की है। ठीक इसी तरह से हम दूसरी जगह काम करने वालों के साथ मिलान करें तो मैं कहूंगा कि हमारी अन्तिम श्रेणी में काम करने वाले रेल के लोगों का मिलान और जगह अन्तिम श्रेणी में काम करने वाले लोगों से करें। आप यह मिलान करें तो मालूम होगा कि हम ने तरक्की की है। हम कहेंगे कि हमारे यहां अन्तिम श्रेणी में काम करने वाले मेहतर की दशा को आप देखें। यह म्यूनीसिपैलिटी में जो मेहतर काम करते हैं आज भी उन्हें वहां म्यूनीसिपैलिटीज में आठ रुपया माहवार दिया जाता है। क्या उस से मिलान कर के आप कहेंगे कि रेल के मेहतर की और और कर्मचारियों की दशा खराब है? खराब आप कह सकते हैं कि जहां आप उन को ले जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन पहले से काफी सुधार हुआ है और यह सुधार आगे और भी होगा। इसी तरह से अगर आप भारतवर्ष के दूसरे लोगों के साथ मिलान करेंगे जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस में भी आप उन की दशा में काफी सुधार पावेंगे और काफी तरक्की पावेंगे।

सभापति जी, अब मेरे पास बहुत कम समय रह गया है। इसलिये जो दो एक सजेशन्स मुझ को देने हैं उन को मैं आप के सामने रख देता हूं। एक चीज यह है कि हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारी रेल के ऊपर जो दावे होते हैं उन की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि रेल पर सन् १९५१–५२ में दावों की संख्या ३,४६,६०० से बढ़ कर ३,८९,४२८ हो गयी है। यह दावों की संख्या जो बढ़ रही है वह क्यों बढ़ रही है इस लिये कि पार्सल (parcel) को तोड़ कर थोड़ी चीजें चुरा ली जाती हैं। इन चोरियों की संख्या बढ़ गयी है, इसी से हमारी रेलवे के ऊपर दावों की संख्या बढ़ रही है। इस चीज के बारे में आप को एक मिसाल दे कर मैं उस के ऊपर आप को अपना सजेशन देना चाहता हूं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में एक अनंग कैमिकल वर्क्स का फर्म है। उस ने छपरे के किसी एक शख्स के नाम २० सी सी ग्राइप मिक्सचर भेजा। जब वह २० सी सी ग्राइप मिक्सचर का पार्सल छपरा स्टेशन पर उस को डैमेज्ड मिला तो उस ने उसकी डिलीवरी लेने से इन्कार कर दिया। उस के बाद फिर उस ने टी. एम. को लिखा। टी. एम. ने कहा कि इस को ओपुन डिलीवरी दे दो और उस को ऐसा करने का हक भी था। स्टेशन मास्टर ने चाहा कि ओपुन डिलीवरी न दे कर इस को और डिले किया जाय और इस में इनक्वायरी (enquiry) हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कर के उसको ओपन डिलीवरी दी गयी और ओपन डिलीवरी के टाइम पर वह एक फर्जी कैश मैमो लाया ५० सी सी ग्राइप मिक्सचर का और ५० रुपये से बढ़ा कर १७० रुपये का दावा करके उस ने १७० रुपये लिये। इस तरह से बहुत से लोग दावे करते हैं। मेरा सजेशन है कि जहां से यह पार्सल आते हैं तो उन पार्सल भेजने वालों को यह हिदायत दी जाय कि कैश मैमों की एक नकल वह रेल के पार्सल के साथ दें। जब वह पार्सल रेलवे को देने लगें तो उस के साथ एक कैश मैमो की कापी भी बुकिंग क्लर्क को दे दें, ताकि बाद को उन को फोर्ज करने का मौका न मिले।

अब मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा० लंका सुन्दरम्: (विशाखापटनम्) : माननीय रेल मंत्री ने चतुरतापूर्ण तरीक़े से आयव्ययक प्रस्तुत किया है। आज से दस दिन के अन्दर रेलवे शताब्दि प्रदर्शनी शुरू हो रही है। उस समय के लिये उन्होंने अपने भाषण द्वारा रेलवे प्रशासन को झालरों में सजाया है।

रेल मंत्री ने रेल प्रशासन की सफलताओं तथा अपेक्षाओं की दीर्घ सूची बतायी है। माननीय रेल मंत्री ने जितने दावे किये हैं वे यदि अंशतः भी सत्य होते तो मैं कह देता कि हमारी रेलें तन्दुरुस्त हैं।

किन्तु तथ्यों की जानकारी के लिये हमें जो ज्ञापन दिये गये हैं उनमें बताये गये आंकड़े कौनसी स्थिति पर प्रकाश डालते हैं? तीसरे दर्जे के यात्रिकों से होने वाली आमदनी ७.६१ करोड़ रुपये से घट गई है। सब प्रकार के यात्रिकों से होने वाली कुल आमदनी ११२.१६ करोड़ से १०२.५ करोड़ तक गिर गई है। माल की यातायात से होने वाली आमदनी १ करोड़ रुपये से घट गई है।

मेरी राय में इन आंकड़ों के आधार पर माननीय मंत्री द्वारा खड़ा किया गया यशोमंदिर टिक नहीं सकता। इन आंकड़ों से क्या प्रकट होता है? मैं समझता हूं कि इनसे समाज की गिरी हुई क्रय शक्ति दिग्दर्शित होती है। और यह भी प्रगट होता है कि व्यापारियों के दिलों में आशा एवं विश्वास नहीं है। मैं प्रथम रेल मंत्रालय को और बाद में वित्त मंत्रालय को गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव देना चाहता हूं कि अब यह सोचने का समय आ गया है कि क्या मुद्रा-विस्तार के बावजूद भी हमें सचमुच आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। मैं रेल मंत्री से कहूंगा कि किराये तथा भाड़े कम करने के उद्देश्य से उनके ढांचे में सुधार करने के लिये उसकी पूरी छानबीन करने का समय आ गया है या नहीं इस प्रश्न पर अब गम्भीरतापूर्ण विचार करना आवश्यक हो गया है। मैं सुझाव देता हूं कि इस प्रश्न की सूक्ष्म छानबीन करने के लिये इस सदन की अथवा दोनों सदनों की अथवा विशेषज्ञों की एक समिति तुरन्त नियुक्त की जानी चाहिये। इससे सारे देश पर छाने वाले आर्थिक संकट की जड़ की खोज निकाल कर उस पर प्रहार किया जा सकेगा।

आज ६ लाख से अधिक कर्मचारी रेल प्रशासन के अधीन काम कर रहे ह। वस्तुतः रेल प्रशासन ही आज हमारे देश में सब से बड़ा सेवानियोजक है। उसके अधीन सब श्रेणियों के कर्मचारी हैं। किन्तु मुझे खेद है कि रेलवे पर्षद् वहां सम्राट् के भांति राज करता है। वह उसका रक्षित चरागाह बन गया है; एक वज्रलोह की चौकट बन गयी है। वहां लगभग १० लाख परिवारों के भाग्य का विधान होता है। इस क्षेत्र में शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मैं रेलवे पर्षद् के कार्यालय का ही क़िस्सा सुनाऊंगा। यदि कोई आदमी रेलवे पर्षद् के कार्यालय में १० वर्ष काम करता है और उसे स्थायी नहीं किया जाता है तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ दोष अवश्य है—वशिलेबाज़ी, पक्षपात, आदि के भूत सवार हैं। मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री इस बात पर यथोचित ग़ौर करेंगे। मुझे विश्वास है कि दूसरी श्रेणी के अधिकारियों को जो रियायतें देने का विचार हो रहा है वे तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को भी उपलब्ध कर दी जायेंगी। मैं भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, ग्रंथ १, के नियम १७०८ आर० की ओर माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस नियम के अनुसार किसी कर्मचारी को उस पर लगाये गये आरोप का खंडन करने का

[डा० लंका सुन्दरम्]

मौक़ा दिये बिना पद से हटाने का अधिकार रेलवे प्रशासन को दिया गया है ।

स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने विभागीय व्यवस्था का आरम्भ करते हुये बताया था कि पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को हानि नहीं पहुंचेगी किन्तु मुझे बताया गया है कि रेलवे क्लिअरिंग अकाउंट्स संगठन के दिल्ली कार्यालय के १५०० लोगों पर पुनर्वर्गीकरण का विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे आशा है कि किसी व्यक्ति को सख्ती से स्थानान्तरित नहीं किया जायगा ।

पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप रेलवे निरीक्षकों के बारे में पक्षपात बरते जाने की [illegible] ही हैं । मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इन्हें अधिक भत्ते दिये जायें तथा उनकी संथाओं को मान्यता दी जाये ।

८७ प्रति शत स्टेशन मास्टरों को केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफ़ारिशों के बावजूद न्यूनतम श्रेणी में रखा गया है । अस्थायी स्टेशन मास्टरों में से ६० प्रति शत लोगों को उनके कनिष्ठों से भी कम वेतन मिलता है ।

१० लाख कर्मचारियों का स्वास्थ्य, कार्यकुशलता तथा समाधान कायम रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन पर है। विद्यमान वेतन प्रणालियों के आधार पर कर्मचारियों की कार्यकुशलता नहीं बढ़ सकती है और न घूसखोरी की जड़ उखाड़ी जा सकती है । मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री इस बारे में कुछ करेंगे ।

रेलवे प्रशासन द्वारा अनेक पंजीबद्ध श्रमिक संघों को मान्यता न दिये जाने की शिकायतें बारम्बार सुनी जाती हैं । भारत सरकार की श्रम नीति श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है । परन्तु यह प्रतिपादन करते समय मुझे खंडन का कोई भय नहीं कि भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय अपनी अपनी स्वतंत्र श्रम नीति पर अमल करता है । अतः जिन सिद्धान्तों को उच्चतम स्तरों पर स्वीकार किया जाता है उन का पालन नहीं होता । मैं माननीय रेल मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रश्न की ओर ध्यान दें और कर्मचारियों में असंतोष न फैलने दें । यदि एक बार वे हमारे हाथ से निकल गये तो मैं नहीं जानता कि रेलवे प्रशासन का क्या होगा ।

श्री एच० जी० वैष्णव : (अम्बड़) : मुझे प्रस्तुत आयव्ययक अत्यन्त उत्साहवर्धक प्रतीत होता है । आमदनी कम हो जाने पर भी रेलवे द्वारा पंचवर्षीय योजना में रेलवे को सौंपी गई जिम्मेवारी पूरी करने का प्रबन्ध किया गया है । पांच नई लाइनें भी बनायी जाने वाली हैं । मुझे हिंगोली से खंडवा तक जाने वाली महत्वपूर्ण लाइन में अत्यन्त दिलचस्पी है । यह लाइन हैदराबाद राज्य, बरार और उत्तरी भारत को जोड़ती है तथा इस के कारण व्यापार तथा उद्योग को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

इस आयव्ययक में एक अन्य उत्साहवर्धक बात यह है कि रेलवे परिवहन के लिये आवश्यक सारा सामान कुछ ही समय के अन्दर इसी देश में बनाया जायेगा । प्रजातंत्र की दृष्टि से देखा जाय तो पहले दर्जे के डिब्बे बन्द करने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है । गत वर्ष विरोधी दल के सदस्यों ने प्रथम तथा दूसरे दर्जों की कड़ी आलोचना की । किन्तु इस वर्ष माननीय मंत्री द्वारा पहला दर्जा बन्द करने का इरादा जाहिर होते ही इन लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया है इस से स्पष्ट होता है कि विरोधी सदस्य

केवल आलोचना करने के लिये ही आलोचन करते रहते हैं ।

तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहियें । छोटी लाइनों पर तथा छोटे स्टेशनों पर प्लैटफार्म, प्रतीक्षा गृह, पानी, आदि का प्रबन्ध किया जाना चाहिये मुझे मालूम है कि इस दिशा में कोशिश की जा रही है परन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो अभी करने की हैं ।

सीज़न टिकट तथा मनमानी सफरें के टिकट पुनः जारी किये जाने चाहियें । मनमानी सफर के टिकटों की मियाद अप्रैल के अन्त तक बढ़ायी जानी चाहिये ।

रेल गाड़ियों का समय पत्रक बनाते वक्त यह सावधानी रखनी चाहिये कि जंक्शनों से निकलने वाली सम्बन्धित गौण गाड़ियां प्रधान गाड़ियों के बाद चल पड़ें । माल डिब्बों तथा तेल की टंकियों के विषय में बहुत कठिनाइयां महसूस करनी पड़ती हैं । छोटे व्यापारियों की अपेक्षा बड़ी कंपनियों को माल डिब्बे तथा टंकियां तुरन्त मिल जाती हैं । मैं कह नहीं सकता कि क्या यह केवल अव्यवस्था है अथवा इस के अन्दर कोई पक्षपात भी है । इन छोटी बातों की ओर थोड़ा ध्यान देने से वे सुलझ जायेंगी ।

मैं इस आयव्ययक का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री अमजद अली : (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां) : गारो पहाड़ियों में ऊंचे किस्म का कोयला, चूने की चट्टानें, मैंगनीज के स्रोत तथा कागज़ के उत्पादन में उपयुक्त बांबू उपलब्ध हैं । उसी प्रकार वहां की लाख, रुई, संत्रों तथा अननसों को बाहर के बाजारों में भेजने के लिये रेल पथों की आवश्यकता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पांडु से गोलपाड़ा तक की संकल्पित लाइन बनानी पड़ेगी । स्थायी लाइन के निर्माण के प्रश्न की छानबीन करने के लिये जो समिति बनायी गई थी उस ने जोगिघोपा के निकट ब्रह्मपुत्रा नदी पर सेतु बनाने का सुझाव एक राय से दिया था । उक्त समिति के सदस्य श्री इ० जे० ब्राडशा ने भूतत्वीय परिमाप के आधार पर इसी सुझाव का समर्थन किया है ।

रेलवे प्रशासन से रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षण) नियम १९४९, तथा हमालों की बेगार प्रणाली को नष्ट करना आवश्यक है । उपर्युक्त नियम को निवारक निरोध अधिनियम कहा जा सकता है । इन्हीं नियमों के अन्तर्गत जिन ३२५ लोगों को पदभ्रष्ट किया गया था उनमें से केवल ३० लोगों को, अनेक अभ्यावेदनों के बाद पुनः नियुक्त किया जा रहा है । इसी प्रकार अखिल भारतीय हमाल संथा के अभ्यावेदनों के बावजूद रेलवे द्वारा हमालों से २ या ३ घंटे मुफ्त काम लिया जाता है । जब आप उन से काम लेते हैं तो उन्हें पैसा दिया जाना चाहिये । यदि आप पैसा नहीं देते तो कृपया उन से काम मत लीजिये ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, २५ फरवरी, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।